

I. सामान्य

प्रश्न 1. बजट 2026-27 के प्रस्तावों को किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है?

उत्तर: बजट प्रस्तावों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- (क) जीवनयापन में सुगमता
- (ख) दंड और अभियोजन को तर्कसंगत बनाना
- (ग) सहकारी समितियां
- (घ) भारत के विकास के इंजन के तौर पर आईटी (IT) क्षेत्र को सहयोग
- (च) वैश्विक व्यापार और निवेश को आकर्षित करना
- (छ) कॉरपोरेट कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाना
- (ज) अन्य प्रत्यक्ष कर प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना

जीवनयापन में सुगमता

II. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आय के रूप में ब्याज पर छूट [अनुसूची III]

प्रश्न 1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के संबंध में आयकर अधिनियम, 2025 में क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को दिए गए ब्याज के रूप में किसी भी आय को छूट देने के लिए एक नया प्रावधान जोड़ा गया है।

प्रश्न 2. इस छूट का दावा करने के लिए कौन पात्र होगा?

उत्तर: कोई व्यक्ति या उसका कानूनी वारिस पात्र होगा।

प्रश्न 3. इस छूट का लाभ उठाने के लिए लागू शर्तें क्या हैं?

उत्तर: प्रस्तावित प्रावधान के अंतर्गत एकमात्र शर्त यह है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण की ओर से किसी व्यक्ति को ब्याज की आय प्रदान की गई हो।

प्रश्न 4. क्या प्रस्तावित संशोधन मोटर वाहन दावा अधिकरण द्वारा दिए गए ब्याज की राशि को भी कवर करता है?

उत्तर: जी हां, प्रस्तावित प्रावधान मोटर वाहन दावा अधिकरण की ओर से दिए गए ब्याज को कवर करता है।

प्रश्न 5. क्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किसी गैर-व्यक्ति को दिए गए मुआवजे पर भी छूट मिलेगी?

उत्तर: नहीं, छूट का प्रस्तावित प्रावधान केवल व्यक्ति और उसके कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होता है।

प्रश्न 6. इन बदलावों के चलते टीडीएस के क्या प्रावधान होंगे?

उत्तर: इस प्रकार की आय पर टीडीएस का प्रावधान लागू नहीं होगा। इस संबंध में उचित संशोधन भी प्रस्तावित किया गया है।

III. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(4) [तालिका: क्रमांक 7] के प्रावधान के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं लगाया जाएगा

प्रश्न 1. क्या मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) की ओर से दिए गए मुआवजे की राशि पर ब्याज के संबंध में स्रोत पर कर कटौती का कोई प्रावधान है?

उत्तर: हां, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(4) [तालिका: क्रमांक 7] में यह प्रावधान है कि यदि वर्ष के दौरान प्राप्त कुल राशि 50,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसे ब्याज पर स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी।

प्रश्न 2. क्या मुआवजे पर मिलने वाला ब्याज वर्तमान में आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत कर योग्य है?

उत्तर: हां, वर्तमान में मुआवजे पर मिलने वाला ब्याज आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 278 के अंतर्गत कर योग्य है।

प्रश्न 3. वित्त विधेयक, 2026 में इस संबंध में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

उत्तर: यह प्रस्तावित है कि एमएसीटी की ओर से दिए गए ब्याज पर किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी के पास कोई कर नहीं लगेगा।

यह भी प्रस्तावित है कि एमएसीटी की ओर से दिए गए किसी भी ब्याज पर स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी, यदि ऐसा ब्याज किसी व्यक्ति को जमा किया जाता है या भुगतान किया जाता है।

प्रश्न 4. क्या ब्याज आय प्राप्त होने पर टीडीएस के इस्तेमाल के संबंध में किसी गैर-व्यक्ति के लिए कोई बदलाव है?

उत्तर: नहीं। गैर-व्यक्ति के मामले में, आयकर अधिनियम, 2025 के मौजूदा प्रावधान लागू रहेंगे और 50,000 रुपये से अधिक की ब्याज राशि पर टीडीएस लागू होगा।

प्रश्न 5. उपरोक्त संशोधन किस तारीख से प्रभावी होगा?

उत्तर: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है।

IV. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 402(27) में परिभाषित टीडीएस के प्रयोजनों के लिए "कार्य" की परिभाषा के दायरे में "मानव-शक्ति की आपूर्ति" को शामिल करना

प्रश्न 1. आयकर अधिनियम, 2025 के कौन से प्रावधान अनुबंध और पेशेवर सेवाओं के शुल्क पर टीडीएस दर से संबंधित हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(1) [तालिका: क्रमांक 6(i)] ठेकेदारों को किए गए भुगतान पर टीडीएस की दर निर्धारित करती है। जबकि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(1) [तालिका: क्रमांक 6(iii)] पेशेवर सेवा शुल्क पर टीडीएस की दर निर्धारित करती है।

प्रश्न 2. उपर्युक्त धारा के अंतर्गत टीडीएस किस दर से काटा जाएगा?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(1) [तालिका: क्रमांक 6(i)] के अंतर्गत, यदि प्राप्तकर्ता निवासी व्यक्ति या एचयूएफ परिवार है, तो टीडीएस 1% की दर से काटा जाएगा, और यदि प्राप्तकर्ता व्यक्ति या एचयूएफ परिवार के अतिरिक्त कोई अन्य निवासी व्यक्ति है, तो टीडीएस 2% की दर से काटा जाएगा।

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(1) [तालिका: क्रमांक 6(iii)] के अंतर्गत टीडीएस की दर 2% और 10% है। हालांकि, पेशेवर सेवाओं के शुल्क पर टीडीएस 10% की दर से काटा जाएगा।

प्रश्न 3. वित्त विधेयक, 2026 में मानव संसाधन आपूर्ति पर टीडीएस की दर के संबंध में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

उत्तर: यह प्रस्तावित है कि "कार्य" की परिभाषा में विस्तार करके उसमें "मानव-शक्ति की आपूर्ति" को भी शामिल किया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मानव-शक्ति की आपूर्ति पर टीडीएस की दर आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(1) [तालिका: क्रमांक 6(i) और (ii)] के प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित होगी।

प्रश्न 4. उपरोक्त बदलाव किस तिथि से प्रभावी होगा?

उत्तर: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है।

V. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 395 के अंतर्गत स्रोत पर कर की कम या शून्य कटौती का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लघु करदाताओं हेतु सरलीकृत प्रक्रिया

प्रश्न 1. आयकर अधिनियम, 2025 के तहत आयकर कटौती की कम दर या आयकर कटौती न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वर्तमान प्रावधान क्या है?

उत्तर: वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, भुगतान पाने वाले को निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होता है।

आवेदन के बाद, यदि निर्धारण अधिकारी संतुष्ट है कि प्राप्तकर्ता की कुल आय किसी कम दर पर कटौती या आयकर कटौती न होने के लिए उपयुक्त है, तो वह प्रमाण पत्र जारी करता है। हालांकि, ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया छोटी और बड़ी दोनों राशियों के मामलों में एक समान है।

प्रश्न 2. वित्त विधेयक, 2026 के माध्यम से क्या बदलाव प्रस्तावित है?

उत्तर: छोटे करदाताओं के लिए यह प्रस्तावित है कि कर की कम दर या शून्य कटौती के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन निर्धारित आयकर प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सके।

निर्धारित आयकर प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन की जांच करेगा और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन प्रमाण पत्र जारी करेगा, अन्यथा निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने या आवेदन अधूरा होने पर आवेदन अस्वीकार कर देगा।

प्रश्न 3. प्रस्तावित बदलावों के अंतर्गत निर्धारित आयकर प्राधिकरण को कौन आवेदन कर सकता है?

उत्तर: करदाताओं की श्रेणी और अन्य संबंधित शर्तें बोर्ड की ओर से इस संबंध में नियम बनाकर निर्धारित की जाएंगी।

प्रश्न 4. वह निर्धारित आयकर प्राधिकरण कौन होगा जिसे आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: ऐसा प्राधिकरण बोर्ड की ओर से इस संबंध में नियम बनाकर निर्धारित किया जाएगा।

प्रश्न 5. क्या कोई व्यक्ति निर्धारण अधिकारी के साथ-साथ निर्धारित आयकर प्राधिकरण के समक्ष भी आवेदन दाखिल कर सकता है?

उत्तर: नहीं। आवेदन या तो निर्धारण अधिकारी के समक्ष या निर्धारित आयकर प्राधिकरण के समक्ष दाखिल किया जा सकता है।

प्रश्न 6. उपरोक्त संशोधन किस तारीख से प्रभावी होगा?

उत्तर: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है।

VI. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(6) के तहत कर कटौती न करने की घोषणा दाखिल करने वाले निवेशकों के लिए अनुपालन में आसानी

प्रश्न 1. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(6) के अंतर्गत कर कटौती न करने की घोषणा प्रस्तुत करने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: वर्तमान में, करदाता को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(6) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी भी आय के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (जिसे आगे "कटौतीकर्ता" कहा गया है) को कर कटौती न करने की घोषणा प्रस्तुत करनी होती है।

प्रश्न 2. इस संबंध में वित्त विधेयक, 2026 में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

उत्तर: यह प्रस्तावित किया गया है कि करदाता आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(6) के अंतर्गत जमाकर्ता अधिनियम, 1996 की धारा (2)(ई) में परिभाषित जमाकर्ता को निम्नलिखित प्रकार की आय के लिए घोषणा दाखिल कर सकता है:

- (i) म्यूचुअल फंड की इकाइयों से आय
- (ii) प्रतिभूतियों से ब्याज
- (iii) लाभांश

डिपॉजिटरी, कटौतीकर्ता को अपने पास दाखिल की गई घोषणा उपलब्ध कराएगी।

प्रश्न 3. क्या कोई व्यक्ति, जिसके शेयर और प्रतिभूतियां डिपॉजिटरी में नहीं हैं, डिपॉजिटरी को घोषणा कर सकता है?

उत्तर: नहीं। कोई व्यक्ति डिपॉजिटरी की घोषणा तभी कर सकता है, जब:

- (i) शेयर और प्रतिभूतियां डिपॉजिटरी में हों और
- (ii) ऐसी प्रतिभूतियां किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हों।

प्रश्न 4. डिपॉजिटरी के पास घोषणा दाखिल करने की प्रक्रिया और तरीका क्या होगा?

उत्तर: डिपॉजिटरी के पास घोषणा दाखिल करने और कटौतीकर्ता को ऐसी घोषणा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और तरीका इस संबंध में नियम बनाकर निर्धारित किया जाएगा।

प्रश्न 5. क्या डिपॉजिटरी घोषणा दाखिल करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा?

उत्तर: हां, डिपॉजिटरी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा कि घोषणा उनके पास दाखिल की जाए।

प्रश्न 6. क्या कटौतीकर्ता को डिपॉजिटरी की ओर से उपलब्ध कराई गई घोषणा पर विचार करना अनिवार्य होगा?

उत्तर: जी हां, कटौतीकर्ता को डिपॉजिटरी से प्राप्त घोषणा पर विचार करना अनिवार्य है।

प्रश्न 7. क्या विभाग को घोषणा प्रस्तुत करने के संबंध में कोई बदलाव है?

उत्तर: जी हां, इस संबंध में दो बदलाव प्रस्तावित हैं।

(i) कटौतीकर्ता प्राप्त घोषणा को निर्धारित आयकर प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, न कि प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को।

(ii) कटौतीकर्ता को प्राप्त घोषणा को मासिक आधार पर नहीं, बल्कि त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न 8. प्रस्तावित बदलावों का क्या प्रभाव होगा?

उत्तर: करदाता को विभिन्न संस्थाओं के साथ अलग-अलग घोषणाएं दाखिल नहीं करनी होंगी, बल्कि वह डिपॉजिटरी के साथ घोषणा दाखिल कर सकता है। इससे करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम होगा।

कटौतीकर्ता को एक ही स्रोत यानी डिपॉजिटरी से घोषणा प्राप्त होगी और उसे प्राप्त घोषणाओं को त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करना होगा। इससे कटौतीकर्ताओं के लिए अनुपालन आसान हो जाएगा।

प्रश्न 9. उपरोक्त बदलाव किस तिथि से प्रभावी होगा?

उत्तर: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2027 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है।

VII. संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अवधि का युक्तिकरण

प्रश्न 1. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263 किस बारे में है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263 उन व्यक्तियों द्वारा आय विवरण दाखिल करने का प्रावधान करती है जिनकी कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक है या जिन्हें आयकर अधिनियम, 2025 के तहत अन्यथा आय विवरण दाखिल करना आवश्यक है।

प्रश्न 2. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263 के तहत किसे आय विवरण दाखिल करना आवश्यक है?

उत्तर: कोई भी व्यक्ति (व्यक्तिगत, कंपनी, फर्म आदि) जिसकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है या जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, उसे आय विवरण दाखिल करना होगा।

प्रश्न 3. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263 के तहत रिटर्न दाखिल न करने पर क्या होता है?

उत्तर: रिटर्न दाखिल न करने पर अधिनियम की अन्य धाराओं के अंतर्गत निर्धारित शुल्क, ब्याज, जुर्माना और अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है।

प्रश्न 4. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263 के तहत संशोधित रिटर्न क्या है?

उत्तर: संशोधित रिटर्न किसी कर वर्ष के लिए पहले दाखिल किए गए रिटर्न (मूल या विलंबित) में किसी चूक या गलत कथन को सुधारने के लिए प्रस्तुत किया गया रिटर्न है।

प्रश्न 5. वर्तमान में, संशोधित रिटर्न कब दाखिल किया जा सकता है?

उत्तर: इसे संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर या निर्धारण पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, कभी भी दाखिल किया जा सकता है।

प्रश्न 6. वित्त विधेयक, 2026 में संशोधित रिटर्न में प्रस्तावित बदलाव क्या हैं?

उत्तर: प्रस्तावित बदलावों के अनुसार, संशोधित रिटर्न संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से बारह महीने के अंतर्गत (वर्तमान में नौ महीने के बजाय) या निर्धारण पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, दाखिल किया जा सकता है।

प्रश्न 7. संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में शुल्क में क्या प्रस्तावित बदलाव हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234आई में और आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 428(ख) में संबंधित कर वर्ष की समाप्ति के नौ महीने बाद दाखिल किए गए संशोधित रिटर्न के लिए शुल्क प्रस्तावित है।

प्रश्न 8. शुल्क निर्धारण के लिए आय सीमा क्या है - क्या यह कुल आय है या संशोधित रिटर्न में इंक्रीमेंटल आय?

उत्तर: संशोधित रिटर्न दाखिल करते समय दाखिल की गई कुल आय पर शुल्क लगाया जाता है। यदि संशोधित रिटर्न में दाखिल की गई कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है और संशोधित रिटर्न कर वर्ष की समाप्ति के 9 महीने बाद दाखिल किया जाता है, तो शुल्क 5000 रुपये होगा और यदि कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो शुल्क 1000 रुपये होगा।

VIII. आय विवरण दाखिल करने की नियत तारीखें

प्रश्न 1. आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथियों में क्या बदलाव किए गए हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(1)(ग) के अंतर्गत गैर-लेखापरीक्षित (Non-Audit) व्यावसायिक मामलों और ट्रस्टों के लिए नियत तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है।

प्रश्न 2. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(1)(ग) के तहत नियत तिथियों में संशोधन करने का औचित्य क्या है?

उत्तर: इसका उद्देश्य गैर-लेखापरीक्षित (Non-Audit) व्यावसायिक मामलों और ट्रस्टों को अपने लेखा-पुस्तकों को तैयार करने और आवश्यक अनुपालन करने के लिए अधिक समय देना तथा शिकायतों को कम करना है।

प्रश्न 3. वेतनभोगी लोगों के लिए नियत तारीखों में क्या बदलाव हुए हैं?

उत्तर: आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की नियत तिथि 31 जुलाई ही रहेगी।

प्रश्न 4. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(1)(ग) के अंतर्गत नियत तारीखों में ये संशोधन कब से लागू होंगे?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(1)(ग) के अंतर्गत संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और कर वर्ष 2026-27 के लिए लागू होंगे।

प्रश्न 5. क्या आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत भी इसी प्रकार के संशोधन किए गए हैं?

उत्तर: जी हां, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के स्पष्टीकरण-2 के अंतर्गत इस प्रकार के संशोधन किए गए हैं।

प्रश्न 6. आयकर अधिनियम, 1961 में किए गए संशोधनों से कौन सा निर्धारण वर्ष लागू होगा?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) में किए गए संशोधन 1 मार्च, 2026 से लागू होंगे और निर्धारण वर्ष 2026-27 (पूर्ववर्ती वर्ष 2025-26) पर लागू होंगे। इसलिए, निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए गैर-लेखापरीक्षा व्यवसाय मामलों और ट्रस्टों के लिए नियत तिथि 31 अगस्त, 2026 होगी।

IX. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397 के अंतर्गत अचल संपत्ति के विक्रेता के अनिवासी होने की स्थिति में टीडीएस की कटौती के लिए टीएएन (TAN) की जरूरत नहीं है।

प्रश्न 1. आयकर अधिनियम के अंतर्गत TAN प्राप्त करना किन लोगों के लिए अनिवार्य है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397(1) के अनुसार, कर कटौती या संग्रह करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (TAN) के आवंटन के लिए आवेदन करना होगा।

हालांकि, उक्त धारा के खंड (ग) में उन मामलों का प्रावधान है जहां किसी व्यक्ति को कर कटौती (TDS) के लिए टीएएन (TAN) प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

प्रश्न 2. क्या किसी निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को आयकर कटौती के लिए टीएएन प्राप्त करना आवश्यक है, यदि उसे अचल संपत्ति की बिक्री पर कर कटौती करनी हो और संपत्ति का विक्रेता निवासी हो?

उत्तर: नहीं। यदि अचल संपत्ति का विक्रेता निवासी है, तो निवासी व्यक्ति या एचयूएफ को आयकर कटौती के लिए टीएएन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे मामलों में, खरीदार अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल करके टैक्स में कटौती करता है और विभाग के पास दाखिल किए गए चालान-सह-विवरण में विक्रेता के पैन का उल्लेख करते हुए कटौती की जानकारी देता है।

प्रश्न 3. अचल संपत्ति के लेन-देन के संबंध में वर्तमान प्रावधान क्या है, यदि खरीदार निवासी है और विक्रेता अनिवासी है?

उत्तर: अचल संपत्ति के विक्रेता के अनिवासी होने की स्थिति में, निवासी व्यक्ति या अविभाजित परिवार को आयकर कटौती के लिए टीएएन प्राप्त करना आवश्यक है।

प्रश्न 4. वित्त विधेयक, 2026 में टीएएन प्राप्त करने के संबंध में क्या बदलाव प्रस्तावित है?

उत्तर: यह प्रस्तावित है कि किसी अचल संपत्ति के ट्रांसफर के लिए किसी भी प्रतिफल पर टीडीएस की कटौती जरूरी होने पर, यदि संपत्ति का विक्रेता अनिवासी है, तो निवासी व्यक्ति या एचयूएफ को टीएएन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे मामलों में, खरीदने वाला अब अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल करके कर की कटौती करेगा और विभाग के पास दाखिल किए जाने वाले चालान-सह-विवरण में विक्रेता के पैन कार्ड का उल्लेख करते हुए कटौती की रिपोर्ट करेगा। अतः कर कटौती और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया अब समान होगी, चाहे विक्रेता निवासी हो या अनिवासी।

प्रश्न 5. इससे करदाताओं को क्या लाभ होगा?

उत्तर: इससे निवासी व्यक्ति और अविभाजित परिवार (एचयूएफ) पर अनुपालन का बोझ कम होगा, क्योंकि उन्हें ऐसे लेन-देन के लिए टीएएन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और वे अपने पैन कार्ड के आधार पर आयकर कटौती कर सकेंगे।

प्रश्न 6. टीएएन के अभाव में स्रोत पर कर कटौती की प्रक्रिया क्या होगी?

उत्तर: करदाता अधिसूचित किए गए पैन आधारित चालान के साथ विवरण प्रस्तुत करके स्रोत पर कर कटौती कर सकता है। कर कटौती और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया अब विक्रेता के निवासी या अनिवासी होने के बावजूद समान रहेगी।

प्रश्न 7. उपरोक्त संशोधन किस तिथि से प्रभावी होगा?

उत्तर: ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है।

X. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 29(1)(ड.) के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी के भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि आदि के खाते में कर्मचारी अंशदान जमा करने की नियत तिथि

प्रश्न 1. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 29(1) (ड.) के प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: धारा 29(1)(ड.) नियोक्ता (जो करदाता है) की ओर से कर्मचारी से प्राप्त अंशदान की किसी भी राशि की कटौती की अनुमति देती है, यदि ऐसी राशि नियत तिथि के भीतर कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है।

प्रश्न 2. आयकर अधिनियम, 2025 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार “देय तिथि” क्या है?

उत्तर: अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, “देय तिथि” से तात्पर्य उन अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत मंजूर की गई भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि या ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी भी निधि के लिए निर्धारित उस तिथि से है, जिसके भीतर कर्मचारी से प्राप्त अंशदान राशि जमा की जानी चाहिए।

प्रश्न 3. वित्त विधेयक, 2026 में “देय तिथि” के संबंध में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

उत्तर: यह प्रस्तावित किया गया है कि नियोक्ता (जो करदाता है) की ओर से कर्मचारी से किसी तरह की मंजूर की गई भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि या ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी भी निधि में प्राप्त अंशदान की राशि कटौती के रूप में अनुमत होगी, यदि ऐसी राशि संबंधित निधि में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(1) के अंतर्गत आय विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक या उससे पहले जमा कर दी जाती है, जो नियोक्ता पर लागू होती है।

प्रश्न 4. कर्मचारियों से काटे गए पीएफ/ईएसआई अंशदान के भुगतान के लिए विस्तारित तिथि क्यों दी जा रही है?

उत्तर: वर्तमान में, नियोक्ता की ओर से पीएफ /ईएसआई अंशदान का भुगतान कटौती के रूप में तभी मान्य है, जब यह राशि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(1) के अंतर्गत नियोक्ता की ओर से आय विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक या उससे पहले वास्तव में भुगतान कर दी गई हो। जबकि कर्मचारी अंशदान का भुगतान कटौती के रूप में तभी मान्य है, जब यह राशि संबंधित निधि की नियत तिथि के भीतर भुगतान कर दी गई हो। संबंधित अधिनियमों में कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों के अंशदान के भुगतान की एक ही तिथि, वेतन भुगतान वाले कैलेंडर माह के अंत से 15 दिन, निर्धारित है। इसलिए, कर्मचारी अंशदान और नियोक्ता अंशदान की देय तिथि को एक समान करने का प्रस्ताव है,

क्योंकि संबंधित अधिनियमों में ऐसा कोई अंतर नहीं है। इसके साथ ही, नियोक्ता को अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संबंधित अधिनियमों में पर्याप्त अनुपालन प्रावधान भी निहित हैं।

प्रश्न 5. ये बदलाव कब से प्रभावी होंगे?

उत्तर: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है।

XI. जीवन बीमा व्यवसाय के अलावा अन्य बीमा व्यवसाय के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 35(ख)(i) और (ii) के तहत कटौती की स्वीकार्यता के प्रावधान का युक्तिकरण करना

प्रश्न 1. आयकर अधिनियम, 2025 के कौन से प्रावधान जीवन बीमा व्यवसाय के साथ ही अन्य बीमा व्यवसायों के लाभ और आय की गणना के लिए निर्धारित हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 55 को अनुसूची 14 के भाग ख के साथ पढ़ने पर बीमा व्यवसाय के अलावा अन्य बीमा व्यवसायों के लाभ और आय की गणना का प्रावधान मिलता है।

प्रश्न 2. उपर्युक्त बीमा व्यवसाय के लिए लाभ और आय की गणना कैसे की जाती है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 14 के भाग ख में ऐसे व्यवसाय के लाभ और आय की गणना का तरीका बताया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 28 से 54 के अंतर्गत अस्वीकार की गई कोई भी राशि लाभ और आय में वापस जोड़ दी जाएगी।

इसके साथ ही, अनुच्छेद (4) के उप-अनुच्छेद (2) में यह प्रावधान है कि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 37 के अंतर्गत वापस जोड़ी गई कोई भी राशि उस कर वर्ष में कटौती के रूप में अनुमत होगी जिसमें इसका वास्तव में भुगतान किया जाता है।

प्रश्न 3. आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची XIV में क्या बदलाव प्रस्तावित है?

उत्तर: यह प्रस्तावित है कि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 35(ख)(i) या 35(ख)(ii) के अंतर्गत कटौती योग्य न होने के कारण जीवन बीमा व्यवसाय के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में जोड़ी गई कोई भी राशि (उक्त धारा के अनुसार ऐसी राशि पर कटौती न होने या टीडीएस का भुगतान न होने के कारण कटौती के रूप में अनुमत न की गई राशि) को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 35(ख)(i) या 35(ख)(ii) के प्रावधानों के अनुसार एक कर वर्ष में कटौती के रूप में मंजूर किया जाएगा।

प्रश्न 4. इस प्रकार के बदलाव का क्या प्रभाव होगा?

उत्तर: यदि किसी राशि पर आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 35(ख)(i) या 35(ख)(ii) के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती और भुगतान नहीं किया गया था और किसी भी बाद के कर वर्ष में उक्त कर की कटौती और भुगतान किया जाता है, तो उक्त राशि को उस बाद के कर वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

प्रश्न 5. क्या यह संशोधन भविष्य में लागू होगा?

उत्तर: हां, यह संशोधन भविष्य में लागू होगा और कर वर्ष 2026-27 और उसके बाद के कर वर्षों के लिए 01.04.26 से प्रभावी होगा।

प्रश्न 6. आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची XIV में उक्त संशोधन कब से प्रभावी होगा?

उत्तर: उक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा।

XII. लघु करदाताओं की विदेशी संपत्ति - प्रकटीकरण योजना 2026 (एफएसटी-डीएस)

प्रश्न 1. लघु करदाताओं की विदेशी संपत्ति - प्रकटीकरण योजना, 2026 क्या है?

उत्तर: यह योजना पात्र करदाताओं को कर या शुल्क के भुगतान पर, आयकर रिटर्न में कर-रहित या अप्रकाशित निर्दिष्ट विदेशी आय और संपत्तियों का खुलासा करने का एक बार का अवसर प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत करदाताओं को आगे के कर, जुर्माने और काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत अभियोजन से छूट मिलती है।

प्रश्न 2. इस योजना के अंतर्गत घोषणा करने के लिए कौन पात्र है?

उत्तर: कोई भी व्यक्ति, जो संबंधित अवधि में भारत का निवासी है या था और जो योजना में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, घोषणा कर सकता है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जो वर्तमान में अनिवासी हैं या सामान्यतः निवासी नहीं हैं, लेकिन अघोषित विदेशी आय अर्जित होने या विदेशी संपत्ति अधिग्रहण के समय भारत के निवासी थे।

प्रश्न 3. इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

उत्तर: कई करदाता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं (परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) :

- बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के कर्मचारी, जिन्हें विदेशी नियोक्ताओं से ईएसओपी या आरएसयू प्राप्त होते हैं और जिन्होंने ऐसी संपत्तियों की जानकारी नहीं दी है;
- विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद निष्क्रिय या कम शेष राशि वाले विदेशी बैंक खातों वाले पूर्व छात्र;
- विदेश में अघोषित बचत या बीमा पॉलिसियों वाले वापस लौटने वाले अनिवासी; और
- विदेश में प्रतिनियुक्ति पर तैनात मिशन कर्मचारी या अन्य कर्मी।

प्रश्न 4. इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार की आय या परिसंपत्तियों का खुलासा किया जा सकता है?

उत्तर: इस योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) अघोषित विदेशी आय;

(ख) भारत के बाहर स्थित अघोषित परिसंपत्तियां; और

(ग) निर्दिष्ट विदेशी परिसंपत्तियां, जो विदेशी आय से अर्जित की गई हों, जब करदाता अनिवासी था, या भारत में पहले से ही कर योग्य आय से अर्जित की गई हों, और जिनका विवरण आयकर रिटर्न की संबंधित अनुसूची में नहीं दिया गया हो।

प्रश्न 5. योजना के अंतर्गत घोषित की जा सकने वाली "अघोषित विदेशी आय" क्या है?

उत्तर: इसे भारत के बाहर स्थित किसी स्रोत से करदाता की कुल आय के तौर पर परिभाषित किया गया है, जिस पर भारत में कर लगाया जाना चाहिए था, लेकिन कर नहीं लगाया गया।

प्रश्न 6. भारत के बाहर स्थित "अघोषित संपत्तियां" क्या हैं, जिन्हें घोषित किया जा सकता है?

उत्तर: इसे भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति (किसी संस्था में वित्तीय हित सहित) के तौर पर परिभाषित किया गया है, जो करदाता के नाम पर या लाभकारी स्वामी के रूप में है, लेकिन उसके पास ऐसी संपत्ति में निवेश के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

प्रश्न 7. योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए मौद्रिक सीमाएं क्या हैं?

उत्तर: भारत के बाहर स्थित "अघोषित संपत्तियों" या "अघोषित विदेशी आय" के लिए, यह योजना तब लागू होती है जब 31 मार्च 2026 तक कुल मूल्य ₹1 करोड़ से अधिक न हो।

प्रश्न 8. इस योजना के अंतर्गत उन विदेशी संपत्तियों के लिए मौद्रिक सीमाएं क्या हैं, जिन पर कर लगाया गया था लेकिन जिनकी सूचना नहीं दी गई थी?

उत्तर: घोषित आय से या अनिवासी के रूप में अर्जित विदेशी संपत्तियों के लिए, 31 मार्च 2026 तक संपत्ति का मूल्य ₹5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।

प्रश्न 9. भारत के बाहर स्थित "अघोषित संपत्तियों" या "अघोषित विदेशी आय" की घोषणा करने पर देय राशि क्या है?

उत्तर: घोषणाकर्ता को 31 मार्च 2026 तक अघोषित विदेशी संपत्ति के मूल्य या अघोषित विदेशी आय के मूल्य पर 30 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना होगा, साथ ही इस कर के 100 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा। कुल देय राशि संपत्ति या विदेशी आय के मूल्य का 60 प्रतिशत होगी।

प्रश्न 10. यदि विदेशी संपत्ति का विवरण दिया गया है लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं की गई है, तो देय राशि क्या है?

उत्तर: यदि विदेशी संपत्ति अनिवासी स्थिति के दौरान अर्जित की गई थी या भारत में पहले से कर योग्य आय से प्राप्त की गई थी, लेकिन संबंधित रिटर्न अनुसूची में उसका खुलासा नहीं किया गया था, तो मूल्य सीमा के अधीन ₹1 लाख का एकमुश्त शुल्क देय है।

प्रश्न 11. यदि एक ही संपत्ति की घोषणा कई वर्षों में नहीं की जाती है, तो क्या ₹1 लाख का शुल्क सभी वर्षों के लिए या केवल एक वर्ष के लिए लागू होगा?

उत्तर: यदि संपत्ति समान है, तो केवल एक बार शुल्क लागू होगा और यह खुलासा न किए जाने वाले पहले वर्ष के लिए लागू होगा। इसके बाद यह माना जाएगा कि संपत्ति का खुलासा हो चुका है। हालांकि, यदि ऐसी संपत्तियां हैं, जो कई वर्षों में अर्जित की गई थीं, तो संबंधित पहले वर्षों के लिए शुल्क लागू होगा, जब संपत्ति का खुलासा नहीं किया गया था।

प्रश्न 12. योजना के अंतर्गत घोषणा करने का तरीका क्या है?

उत्तर: योजना के अंतर्गत घोषणा निर्धारित प्रपत्र में इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी और केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित अवधि के अंदर निर्धारित तरीके से सत्यापित की जाएगी।

प्रश्न 13. योजना के अंतर्गत देय राशि का निर्धारण कैसे किया जाता है?

उत्तर: पात्रता और घोषणा के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के बाद, निर्धारित आयकर प्राधिकरण घोषणा प्रस्तुत किए जाने वाले महीने के अंत से एक महीने के भीतर आदेश द्वारा देय राशि की सूचना देगा।

प्रश्न 14. निर्धारित राशि के भुगतान की समय सीमा क्या है?

उत्तर: घोषणाकर्ता को आदेश प्राप्त होने वाले महीने के अंत से दो महीने के भीतर निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा। दो महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, लेकिन इससे अधिक का विस्तार स्वीकार्य नहीं है।

प्रश्न 15. क्या विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज देय है?

उत्तर: हां, यदि भुगतान दो महीने की विस्तारित अवधि के दौरान किया जाता है, तो बकाया राशि पर प्रत्येक माह या उसके अंश के लिए 1% की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

प्रश्न 16. भुगतान के बाद क्या होता है?

उत्तर: भुगतान और निर्धारित प्रपत्र में इसकी सूचना मिलने पर, योजना के अंतर्गत भुगतान प्रमाणित करने वाला एक आदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा। ऐसा आदेश उसमें उल्लिखित मामलों के संबंध में अंतिम होगा।

प्रश्न 17. क्या यह योजना जुर्माने और अभियोजन से छूट प्रदान करती है?

उत्तर: हां, वैध घोषणा करने और निर्धारित राशि का भुगतान करने वाले घोषणाकर्ता को घोषित आय या संपत्ति के संबंध में काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत कर, जुर्माने और अभियोजन से छूट दी जाएगी।

प्रश्न 18. क्या कोई ऐसे अपवाद हैं, जहां यह योजना लागू नहीं होगी?

उत्तर: हां, यह योजना धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध की आय से प्राप्त आय या संपत्ति पर या उन मामलों पर लागू नहीं होती है, जहां काला धन अधिनियम के तहत निर्धारण कार्यवाही पहले ही पूरी हो चुकी है।

प्रश्न 19. लंबित निर्धारण कार्यवाही किस प्रकार प्रभावित होती है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत घोषित आय या संपत्ति के संबंध में लंबित निर्धारण कार्यवाही की स्थिति में, निर्धारण अधिकारी ऐसी कार्यवाही को अंतिम रूप देते समय घोषणा को ध्यान में रखेगा।

प्रश्न 20. क्या एक से अधिक विदेशी संपत्ति या आय मदों के लिए घोषणा की जा सकती है?

उत्तर: हां, योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट मौद्रिक सीमाओं और अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन, एक ही घोषणा में अघोषित विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों की अनेक मदें शामिल हो सकती हैं।

प्रश्न 21. योजना के प्रयोजनों के लिए किसी अघोषित विदेशी संपत्ति का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाएगा?

उत्तर: किसी अघोषित विदेशी संपत्ति का मूल्य योजना के अंतर्गत निर्धारित निर्धारण नियमों के अनुसार, संपत्ति की प्रकृति और संबंधित निर्धारण तिथि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा।

प्रश्न 22. तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण या छिपाने के मामलों से कैसे निपटा जाएगा?

उत्तर: यदि कोई घोषणा झूठी पाई जाती है या उसमें तथ्यों का महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतीकरण या छिपाना होता है, तो घोषणा अमान्य होगी और लागू कानून के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे, मानो कोई घोषणा की ही न गई हो।

प्रश्न 23. योजना के संचालन के लिए योग्य प्राधिकारी कौन है?

उत्तर: योजना का संचालन केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित आयकर प्राधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा।

प्रश्न 24. योजना के अंतर्गत घोषणा करने की अंतिम तारीख क्या है?

उत्तर: योजना के अंतर्गत घोषणा करने की अंतिम तिथि केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित तिथि होगी। घोषणाएं केवल अधिसूचित अवधि के भीतर ही की जा सकती हैं।

प्रश्न 25. यह योजना कब से लागू होगी?

उत्तर: यह योजना केंद्र सरकार की ओर से राजपत्र में अधिसूचित तिथि से लागू होगी।

दंड और अभियोजन को तर्कसंगत बनाना

XIII. निर्धारण आदेश और दंड आदेश का संयोजन

प्रश्न 1. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आयकर अधिनियम, 2025 में निर्धारण आदेश कैसे पारित किया जाता है और जुर्माना कैसे लगाया जाता है?

उत्तर: वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, पहले एक निर्धारण आदेश पारित किया जाता है और उसमें किए गए निष्कर्षों / वृद्धि के आधार पर तथा अपीलीय कार्यवाही की स्थिति के अधीन, निर्धारण अधिकारी की ओर से निर्धारण आदेश में जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद, कारण बताओ नोटिस जारी करके अलग से जुर्माना कार्यवाही शुरू की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप करदाता को उचित मौके देने के बाद एक अलग जुर्माना आदेश पारित किया जाता है। इससे अपीलीय कार्यवाही की एक और श्रृंखला शुरू होती है।

प्रश्न 2. निर्धारण और दंड कार्यवाही के संबंध में वित्त विधेयक, 2026 में प्रस्तावित परिवर्तन क्या हैं?

उत्तर: यह प्रस्तावित है कि जहां आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 439 के तहत दंड लगाया जाना प्रस्तावित है, उन मामलों में निर्धारण और दंड का एक ही आदेश पारित किया जाएगा। हालांकि, आयकर अधिनियम, 2025 की प्रस्तावित संशोधित धाराओं 474, 411 और 379 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, संयुक्त आदेश पारित करने से पहले करदाता को पर्याप्त मौके दिए जाएंगे।

प्रश्न 3. क्या यह प्रस्ताव 01.04.2026 तक लंबित सभी आकलन या दंड कार्यवाही पर लागू होगा?

उत्तर: नहीं। आयकर अधिनियम, 1961 के लिए, प्रस्तावित संशोधन उन मामलों में लागू होगा, जहां धारा 143 के तहत आकलन या धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन या धारा 144ग के तहत प्रस्तावित आकलन आदेश का कोई मसौदा 1 अप्रैल, 2027 को या उसके बाद तैयार किया गया हो, और जहां धारा 270ए के तहत दंड लगाने का प्रस्ताव हो।

जबकि, आयकर अधिनियम, 2025 के लिए, प्रस्तावित संशोधन उन मामलों में लागू होगा, जहां धारा 275 के तहत प्रस्तावित आकलन आदेश का कोई मसौदा या धारा 270 के तहत आकलन या धारा 279 के तहत पुनर्मूल्यांकन 1 अप्रैल, 2027 को या उसके बाद तैयार किया गया हो, और जहां धारा 439 के तहत दंड लगाने का प्रस्ताव हो।

प्रश्न 4. क्या ऐसा प्रस्ताव आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144ग के तहत किए गए मसौदा मूल्यांकनों पर लागू होगा?

उत्तर: हां। यह प्रस्ताव उन मामलों में भी लागू होगा जहां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144ग के तहत निर्धारण आदेश का कोई मसौदा तैयार करना आवश्यक है। हालांकि, यह केवल उन मसौदा निर्धारण पर लागू होगा, जो 1 अप्रैल, 2027 को या उसके बाद किए गए हैं। इसके साथ ही, यह प्रस्ताव उन मामलों में भी लागू होगा जहां आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 275 के तहत निर्धारण आदेश का कोई मसौदा तैयार करना आवश्यक है। हालांकि, यह केवल उन मसौदा निर्धारणों पर लागू होगा जो 1 अप्रैल, 2027 को या उसके बाद किए गए हैं।

प्रश्न 5. आयकर अधिनियम, 1961 में उपरोक्त प्रस्ताव की प्रभावी तारीख क्या होगी?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 में प्रस्तावित संशोधनों की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2027 होगी और यह उन मामलों में लागू होगी, जहां धारा 144ग के अंतर्गत प्रस्तावित निर्धारण आदेश का कोई मसौदा तैयार किया गया हो या धारा 143 के तहत निर्धारण या धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन 1 अप्रैल, 2027 को या उसके बाद किया गया हो।

प्रश्न 6. आयकर अधिनियम, 2025 में उपरोक्त प्रस्ताव की प्रभावी तारीख क्या होगी?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 में प्रस्तावित संशोधनों की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल, 2027 होगी और यह उन मामलों में लागू होगी, जहां धारा 275 के अंतर्गत प्रस्तावित निर्धारण आदेश का कोई मसौदा तैयार किया जाता है या धारा 270 के अंतर्गत निर्धारण या धारा 279 के तहत पुनर्मूल्यांकन 1 अप्रैल, 2027 को या उसके बाद किया जाता है।

XIV. जुर्माने या अभियोजन के संबंध में प्रतिरक्षा के दायरे का विस्तार

प्रश्न 1. आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने या अभियोजन से छूट प्राप्त करने का मौजूदा दायरा क्या है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 440 के तहत, यदि निर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं, तो करदाता आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 439 के तहत लगाए जाने वाले जुर्माने और आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 478 /479 के तहत आय को कम दिखाने से जुड़ी अभियोजन कार्यवाही शुरू होने से छूट प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न 2. ऐसी छूट के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

उत्तर: कोई भी करदाता जिसके मामले में संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश जारी किया गया है, और जिसने मांग अवधि के भीतर देय कर और ब्याज का भुगतान कर दिया है, और उस आदेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं की है, आवेदन कर सकता है।

प्रश्न 3. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 440 के तहत छूट प्रदान करने की शर्तें क्या हैं?

उत्तर: मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

(क) आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कर और ब्याज का पूर्ण भुगतान, या अतिरिक्त कर, जैसा भी मामला हो।

(ख) उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई हो।

प्रश्न 4. इस प्रकार की छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा क्या है?

उत्तर: छूट प्राप्त करने के लिए, निर्धारण/ पुनर्मूल्यांकन आदेश प्राप्त होने वाले महीने के अंत से एक महीने के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से आवेदन दाखिल करना होगा।

प्रश्न 5. आवेदन दाखिल करने के बाद क्या होता है?

उत्तर: निर्धारण अधिकारी आवेदन प्राप्त होने वाले महीने के अंत से तीन महीने के भीतर निर्णय लेगा। हालांकि, शर्तों की पूर्ति या गैर-पूर्ति के आधार पर, आवेदन स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।

प्रश्न 6. किन परिस्थितियों में छूट नहीं दी जाती है?

उत्तर: वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, ऐसी छूट उन मामलों में उपलब्ध नहीं है, जहां आय की गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप कम रिपोर्टिंग के लिए दंड कार्यवाही शुरू की गई हो।

प्रश्न 7. वित्त विधेयक 2026 में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 440 में प्रस्तावित परिवर्तन क्या हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 440 के अंतर्गत छूट देने का दायरा उन सभी मामलों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है, जहां आय की गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप कम रिपोर्टिंग के लिए दंड कार्यवाही शुरू की गई हो - बशर्ते करदाता ऐसे दंड के बदले निर्दिष्ट अतिरिक्त आयकर का भुगतान करे।

प्रश्न 8. प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार छूट प्राप्त करने के लिए कौन आवेदन कर सकेगा?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 440 के दायरे के प्रस्तावित विस्तार में वे सभी मामले शामिल होंगे, जिनमें आय को कम बताने या गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप आय को कम बताने के

लिए दंड कार्यवाही शुरू की गई हो। हालांकि, करदाता को आय की गलत रिपोर्टिंग के लिए छूट प्राप्त करने के पात्र होने के लिए निर्धारित दंड के बदले अतिरिक्त आयकर का भुगतान करना होगा।

XV. जुर्माने को शुल्क में बदलना

प्रश्न 1. खातों की लेखापरीक्षा न कराने/ देरी से लेखापरीक्षा कराने या वित्तीय लेन-देन विवरण (एसएफटी) या रिपोर्ट करने योग्य खाते को प्रस्तुत करने में विफलता/ देरी से प्रस्तुत करने पर लगने वाले जुर्माने के संबंध में प्रस्तावित परिवर्तन क्या हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 446 और 454 के तहत लगने वाले जुर्माने को शुल्क में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

प्रश्न 2. वर्तमान में, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 446 के अंतर्गत कौन-कौन सी चूक वर्णित है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 446 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति अधिनियम के अनुसार खातों की लेखापरीक्षा कराने में विफल रहता है। निर्धारण अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन, जुर्माना लगा सकता है।

प्रश्न 3. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 447 कब लागू होती है?

उत्तर: यह तब लागू होती है, जब कोई व्यक्ति अधिनियम के निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत आवश्यक लेखाकार रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

प्रश्न 4. वर्तमान में, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 454 किस बारे में है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 454 में वित्तीय लेन-देन विवरण (एसएफटी) या रिपोर्ट करने योग्य खाते को प्रस्तुत करने में विफल रहने पर दंड का प्रावधान है। आयकर अधिनियम, 2025 के तहत, ऐसे विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कोई भी रिपोर्टिंग इकाई या व्यक्ति इस चूक पर दंड के लिए उत्तरदायी है।

प्रश्न 5. वित्त विधेयक, 2026 में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 446 और 428 में प्रस्तावित परिवर्तन क्या हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 446 के अंतर्गत लागू होने वाले जुर्माने को आयकर अधिनियम, 2025 की प्रस्तावित धारा 428(3) में जोड़कर जुर्माने के स्थान पर शुल्क के तौर पर वसूलने का प्रस्ताव है।

प्रश्न 6. वित्त विधेयक, 2026 में आयकर अधिनियम, 2025 की प्रस्तावित धारा 428(3) के अंतर्गत देय शुल्क क्या है?

उत्तर: एक माह तक की देरी के लिए, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, ₹75,000 का शुल्क और उसके बाद ₹1,50,000 का शुल्क प्रस्तावित है।

प्रश्न 7. वित्त विधेयक, 2026 में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 447 और 428 में प्रस्तावित बदलाव क्या हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 447 के अंतर्गत जुर्माने को आयकर अधिनियम, 2025 की प्रस्तावित धारा 428(4) में जोड़कर शुल्क में बदलाव किया गया है।

प्रश्न 8. वित्त विधेयक, 2026 में आयकर अधिनियम, 2025 की प्रस्तावित धारा 428(4) के तहत देय शुल्क क्या है?

उत्तर: एक माह तक की देरी के लिए, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, ₹50,000 के शुल्क का प्रस्ताव है और उसके बाद ₹1,00,000 के का शुल्क प्रस्ताव है।

प्रश्न 9. वित्त विधेयक, 2026 में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 454 और 427 में प्रस्तावित बदलाव क्या हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 454(1) के अंतर्गत जुर्माने को मौजूदा जुर्माने के स्थान पर शुल्क के रूप में लगाने का प्रस्ताव है, इसे आयकर अधिनियम, 2025 की प्रस्तावित धारा 427(3) में शामिल किया गया है। इसके साथ ही, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 454(2) के अंतर्गत ऐसे शुल्क की अधिकतम सीमा ₹1,00,000 निर्धारित करने का भी प्रस्ताव है।

प्रश्न 10. वित्त विधेयक, 2026 में प्रस्तावित आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 427(3) के तहत देय शुल्क क्या है?

उत्तर: प्रस्तावित शुल्क हर उस दिन के लिए ₹200 है, जिस दिन तक ऐसी विफलता जारी रहती है, और यह शुल्क ₹1,00,000 से अधिक नहीं होगा।

प्रश्न 11. क्या वित्त विधेयक, 2026 में आयकर अधिनियम, 2025 के तहत प्रस्तावित शुल्क स्वतः लागू होंगे?

उत्तर: शुल्क स्वतः लागू होने का प्रस्ताव है।

प्रश्न 12. क्या शुल्क लगाने के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 470 के तहत उचित प्रावधान लागू होगा?

उत्तर: नहीं। चूंकि शुल्क स्वतः लागू होने का प्रस्ताव है, इसलिए उचित प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

XVI. आयकर अधिनियम 2025 के कुछ अभियोजन प्रावधानों का आंशिक अपराध मुक्तिकरण

प्रश्न 1. आयकर अधिनियम 2025 के अभियोजन से संबंधित किन प्रावधानों में वित्त विधेयक 2026 के माध्यम से संशोधन किया जा रहा है?

उत्तर: आयकर अधिनियम 2025 की धारा 475 से 478 और 494 में संशोधन किया जा रहा है ताकि कुछ अपराधों को आंशिक रूप से अपराधमुक्त किया जा सके और कुछ अपराधों को पूरी तरह से अपराधमुक्त किया जा सके। साथ ही इनमें निर्धारित सजा की प्रकृति और अवधि में परिवर्तन किया जा सके।

प्रश्न 2. विभिन्न अपराधों को अपराधमुक्त करने के लिए किस व्यापक सिद्धांत का पालन किया गया है?

उत्तर: अभियोजन प्रावधानों में किए गए संशोधन आयकर अधिनियम 2025 को कम अपराधमुक्त बनाने और अपराधों के लिए सजा को अपराध के अनुपात में बनाने के लिए विभाग द्वारा वर्षों से अपनाई जा रही अपराधमुक्त करने की निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इस प्रक्रिया में अपनाए गए सिद्धांत इस प्रकार हैं:

- i) सजा की प्रकृति को कठोर कारावास से साधारण कारावास में बदला गया है;
- ii) अधिकतम सजा को 2 वर्ष तक गमित करने का प्रस्ताव है;
- iii) जहां कहीं भी कर चोरी की राशि के आधार पर अपराधों का दंड निर्धारित किया जाता है, वहां अपराधों का नया वर्गीकरण और उसके अनुरूप नया दंड प्रस्तावित किया गया है;
- iv) यदि कर चोरी की राशि दस लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो केवल जुर्माने का दंड प्रस्तावित किया गया है;
- v) कारावास के स्थान पर या उसके अतिरिक्त जुर्माने का प्रावधान किया गया है;
- vi) कुछ अपराधों को पूर्णतः अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।

प्रश्न 3. आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत अपराधों के लिए अधिकतम दंड में क्या परिवर्तन प्रस्तावित हैं?

उत्तर: किसी भी अपराध के लिए अधिकतम दंड वर्तमान 7 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया है और इसके बाद के अपराधों के लिए दंड वर्तमान 7 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है।

प्रश्न 4. आयकर अधिनियम 2025 में अपराधों के लिए कर की राशि के आधार पर दंड के वर्गीकरण में क्या परिवर्तन किए गए हैं?

उत्तर: पहले के 25 लाख रुपये के वर्गीकरण को नए वर्गीकरण में बदल दिया गया है। अब यदि कर की राशि 50 लाख रुपये से अधिक है, तो अधिकतम दंड 2 वर्ष होगा; यदि कर की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है लेकिन 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो अधिकतम दंड 6 महीने होगा; और यदि कर की राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो केवल जुर्माना होगा।

प्रश्न 5. कर राशि के नए वर्गीकरण का औचित्य क्या है?

उत्तर: वर्गीकरण का औचित्य दंड की सीमा को तर्कसंगत बनाना है ताकि अनुपालन को प्रोत्साहित किया जा सके। जानबूझकर अवज्ञा और उच्च कर चोरी से जुड़े अपराधों के लिए कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया है, जबकि कम राशि के अपराधों के लिए दंड को मौद्रिक रखा गया है। नई वर्गीकरण प्रणाली प्रगतिशील और समावेशी है और वैश्विक के साथ-साथ जन विश्वास की भावना को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

प्रश्न 6 आयकर अधिनियम 2025 के अभियोजन प्रावधानों में सजा और जुर्माने की प्रकृति से संबंधित क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम 2025 की धारा 475 से 478 और 494 में सजा की प्रकृति को कठोर कारावास से बदलकर साधारण कारावास कर दिया गया है। कुछ अपराधों के मामले में कारावास के स्थान पर या उसके अतिरिक्त जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

प्रश्न 7 आयकर अधिनियम 2025 के अभियोजन प्रावधानों में संशोधन किस तिथि से लागू होंगे?

उत्तर: आयकर अधिनियम 2025 की धारा 473 से 485 और 490 के अंतर्गत अभियोजन प्रावधानों में किए गए संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे।

प्रश्न 8 आयकर अधिनियम 2025 के 1 अप्रैल 2026 से लागू होने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के अभियोजन प्रावधानों का क्या होगा?

उत्तर: आयकर अधिनियम 2025 में किए गए, अभियोजन प्रावधानों में इग प्रकार के संशोधन आयकर अधिनियम, 1961 की संबंधित धाराओं, अर्थात् धारा 275क से 278क और 280 में भी किए जा रहे हैं।

प्रश्न 9: सरकार को टीडीएस/टीसीएस का भुगतान न करने पर क्या दंड है?

उत्तर: संशोधनों के बाद टीडीएस/टीसीएस का भुगतान न करने पर अधिकतम दंड 2 वर्ष होगा और न्यूनतम दंड जुर्माना होगा।

प्रश्न.10 आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत कौन-कौन से अपराध पूर्णतः अपराध-मुक्त किए गए हैं?

उत्तर: (क) वह अपराध जिसमें कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 481 में उल्लिखित लेखा-बही और दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसे पूर्णतः अपराध-मुक्त किया गया है।

(ख) यदि कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम 2025 की धारा 476 (1) (ख) (i) के अंतर्गत लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली आदि से होने वाली जीत पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का भुगतान करने या उसका भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहता है, तथा धारा 476 (1) (ख) (ii) के अंतर्गत लाभ या परिकर पर स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने या उसका भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहता है, तो इन अपराधों के लिए न्यूनतम तीन माह से लेकर अधिकतम सात वर्ष तक का कठोर कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है। इन अपराधों को पूर्णतः अपराध-मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम 2025 की धारा 476 (1) (ख) (i) के अंतर्गत ऑनलाइन गेम से होने वाली जीत पर तथा धारा 476 (1) (ख) (ii) के अंतर्गत वर्चुअल डिजिटल एसेट से प्राप्त प्रतिफल पर स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने या उसका भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहता है। तो इन अपराधों के लिए भी न्यूनतम तीन माह से लेकर अधिकतम सात वर्ष तक का कठोर कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।

इन मामलों में ऑनलाइन गेम से होने वाली जीत तथा वर्चुअल डिजिटल एसेट से प्राप्त वह प्रतिफल जो पूर्णतः वस्तु के रूप में है को कर भुगतान में विफलता के कारण अभियोजन से संबंधित आपराधिक दायित्व से बाहर रखने का भी प्रस्ताव है।

प्र.11 क्या सभी अपराधों के लिए कंपाउंडिंग की सुविधा जारी रहेगी?

उत्तर: हाँ अपराधों की कंपाउंडिंग के प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

XVII. कुछ आय पर कर-दर और दंड का युक्तिकरण

प्र.1 आयकर अधिनियम 2025 की धारा 195 का दायरा स्पष्ट करें।

उत्तर: आयकर अधिनियम 2025 की धारा 195 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा गया है) धारा 102 से 106 में उल्लिखित आय पर कर का प्रावधान करती है, जैसे कि अज्ञात क्रेडिट, अज्ञात निवेश, अज्ञात परिसंपत्तियाँ, अज्ञात व्यय अथवा हुंडी के माध्यम से उधार ली या चुकाई गई राशि आदि। वर्तमान में ऐसी आय पर लागू कर-दर 60% है।

प्र.2 आयकर अधिनियम 2025 की धारा 443 के अंतर्गत दंड का दायरा क्या है?

उत्तर: आयकर अधिनियम 2025 की धारा 443 के अनुसार यदि किसी निर्धारण वर्ष में करदाता की आय में धारा 102, 103, 104, 105 या 106 में उल्लिखित कोई आय शामिल है, तो धारा 195(1) (i) के अंतर्गत देय कर की राशि के 10% के बराबर दंड लगाया जाएगा।

प्र.3 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 439 किससे संबंधित है?

उत्तर: धारा 439 आय की कम रिपोर्टिंग तथा गलत रिपोर्टिंग पर दंड का प्रावधान करती है।

प्र.4 वित्त विधेयक 2026 में आयकर अधिनियम 2025 की धारा 195 के अंतर्गत कर-दर में क्या प्रस्तावित परिवर्तन हैं?

उत्तर: धारा 102 से 106 में उल्लिखित आय (अज्ञात क्रेडिट, अज्ञात निवेश) पर करदाता द्वारा घोषित या आकलन अधिकारी द्वारा निर्धारित आय पर लागू कर-दर को 60% से घटाकर 30% करने का प्रस्ताव है।

प्र.5 आयकर अधिनियम 2025 की धारा 443 के अंतर्गत कुछ आय पर दंड प्रावधानों में क्या परिवर्तन प्रस्तावित हैं?

उत्तर: चूंकि कुछ आय पर कर-दर को 30% तक युक्तिसंगत किया गया है, इसलिए धारा 443 के अंतर्गत दंड को धारा 439 के अंतर्गत गलत रिपोर्टिंग पर लगाए जाने वाले दंड में समाहित करने का प्रस्ताव है।

प्र.6 क्या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 102-106 के अंतर्गत आय के संबंध में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 439 के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि करदाता ने इसे आयकर रिपोर्ट में स्वतः ही दर्शाया हो?

उत्तर: नहीं, ऐसी स्थिति में कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।

प्र.7 यदि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 102-106 के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा आय का निर्धारण किए जाने के बाद करदाता विवाद का निपटारा करना चाहता है, तो अतिरिक्त कर कितना होगा?

उत्तर: ऐसी स्थिति में कम रिपोर्ट की गई आय पर देय कर की राशि का 120% अतिरिक्त आयकर देना होगा।

प्र.8 चूंकि अब कुछ आय पर दंड गलत रिपोर्टिंग के अंतर्गत लगाया जाएगा, तो क्या करदाता प्रतिरक्षा के लिए आवेदन करने का पात्र होगा?

उत्तर: हां, करदाता अभियोजन से प्रतिरक्षा तथा दंड से छूट के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते वह निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो।

XVIII. ब्लॉक अवधि तथा तलाशी आकलन के संदर्भ बिंदु का युक्तिकरण

प्र.1 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 295 क्या है?

उत्तर: आयकर अधिनियम 2025 की धारा 295 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा गया है) अघोषित आय पर कर लगाने का प्रावधान करती है जब आकलन अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि कोई अघोषित आय ऐसे व्यक्ति से संबंधित है, उससे संबंधित है या उससे जुड़ी हुई है, जिसके मामले में तलाशी आरंभ नहीं की गई है या जब्ती नहीं की गई है (जिसे आगे “अन्य व्यक्ति” कहा गया है)।

प्र.2 ब्लॉक अवधि की परिभाषा क्या है और यह किस धारा में दी गई है?

उत्तर: ब्लॉक अवधि की परिभाषा आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 301(क) में दी गई है। ब्लॉक अवधि में उस कर वर्ष से पूर्व के छह कर वर्षों की संयुक्त अवधि शामिल होती है, जिसमें तलाशी/जब्ती की गई हो, तथा तलाशी वाले कर वर्ष की शुरुआत से लेकर अंतिम प्राधिकरण के निष्पादन तक की अवधि शामिल होती है।

प्र.3 वित्त विधेयक 2026 में आयकर अधिनियम 2025 की धारा 295 में क्या प्रस्तावित परिवर्तन हैं?

उत्तर: यह प्रस्तावित है कि गैर-तलाशी व्यक्ति के मामले में ब्लॉक अवधि को सीमित किया जाए, जहाँ अघोषित आय केवल एक कर वर्ष से संबंधित हो। अन्य व्यक्ति के मामले में जहाँ अघोषित आय संबंधित है ब्लॉक अवधि की परिभाषा निम्नानुसार होगी:

- i) यदि अघोषित आय या तो तलाशी वाले वर्ष से संबंधित हो या तलाशी वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती कर वर्ष से संबंधित हो: ऐसी स्थिति में ब्लॉक अवधि तलाशी/जब्ती से ठीक पूर्व का कर वर्ष तथा तलाशी वाले वर्ष की 1 अप्रैल से लेकर तलाशी आरंभ होने या जब्ती किए जाने की तिथि तक की अवधि होगी।
- ii) यदि अघोषित आय उस वर्ष के अतिरिक्त किसी एक वर्ष से संबंधित हो जो तलाशी/जब्ती के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष नहीं है: ऐसी स्थिति में ब्लॉक अवधि केवल उस एक कर वर्ष की होगी।
- iii) यदि अघोषित आय कई वर्षों से संबंधित हो: ऐसी स्थिति में ब्लॉक अवधि तलाशी/जब्ती वाले कर वर्ष से पूर्व के छह कर वर्षों की होगी तथा तलाशी वाले वर्ष की 1 अप्रैल से लेकर अंतिम प्राधिकरण के निष्पादन की तिथि तक की अवधि को सम्मिलित करेगी।

प्रश्न 4. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 296 क्या है?

उत्तर: आयकर अधिनियम 2025 की धारा 296 ब्लॉक आकलन को पूर्ण करने की समय-सीमा का प्रावधान करती है। धारा 294 (ब्लॉक आकलन की प्रक्रिया) के अंतर्गत आकलन या पुनःआकलन आदेश, उस तिमाही के अंत से 12 माह के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है। इसमें अंतिम तलाशी प्राधिकरण का निष्पादन हुआ हो या जब्ती की गई हो।

प्र.5 वित्त विधेयक 2026 में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 296 में क्या प्रस्तावित परिवर्तन हैं?

उत्तर: धारा 296 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत ब्लॉक आकलन की समय-सीमा निर्धारित करने के लिए तलाशी आरंभ होने की तिथि को संदर्भ बिंदु माना जाएगा। परिणामस्वरूप 12 माह की अवधि को बढ़ाकर 18 माह करने का प्रस्ताव है।

XIX. अद्यतन रिटर्न

प्र.1 आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत “अद्यतन रिटर्न” क्या है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(6) आय का अद्यतन रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान करती है। अद्यतन रिटर्न वह रिटर्न है, जिसे कोई व्यक्ति, चाहे उसने पहले मूल, संशोधित या विलंबित रिटर्न दाखिल किया हो या नहीं, स्वेच्छा से ऐसी आय का खुलासा करने के लिए दाखिल कर सकता है, जो पहले रिपोर्ट नहीं की गई थी या गलत रूप से रिपोर्ट की गई थी, बशर्ते आयकर अधिनियम, 2025 में निर्धारित शर्तें पूरी की गई हों।

प्र.2 अद्यतन रिटर्न कौन दाखिल कर सकता है और इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर: कोई भी व्यक्ति, स्वयं की आय या किसी अन्य व्यक्ति की आय, जिसके लिए वह आकलनीय है, का अद्यतन रिटर्न संबंधित कर वर्ष के पश्चात आने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 48 माह के भीतर दाखिल कर सकता है। इसके लिए आयकर अधिनियम 2025 की धारा 263(6)(क) में प्रावधान है। ऐसा रिटर्न तब भी दाखिल किया जा सकता है, परंतु धारा 263 में निर्दिष्ट अपवादों के अधीन जब पहले कोई मूल, विलंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल न किया गया हो।

प्र.3 अद्यतन रिटर्न दाखिल करते समय कितना अतिरिक्त कर देय होगा?

उत्तर: अधिनियम के अंतर्गत देय कर और ब्याज के अतिरिक्त, अद्यतन रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता को अद्यतन आईटीआर में घोषित अतिरिक्त आय पर, मूल/संशोधित/विलंबित आईटीआर की तुलना में, निम्नलिखित दरों से अतिरिक्त आयकर का भुगतान करना होगा:

- यदि संशोधित आईटीआर दाखिल करने की नियत तिथि के बाद और संबंधित कर वर्ष के पश्चात आने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 माह के भीतर अद्यतन रिटर्न दाखिल किया जाता है - कुल कर और ब्याज का 25%
- उपर्युक्त अवधि के 12 माह के बाद किंतु 24 माह से पूर्व दाखिल करने पर - 50%
- 24 माह के बाद किंतु 36 माह से पूर्व दाखिल करने पर - 60%
- 36 माह के बाद किंतु 48 माह से पूर्व दाखिल करने पर - 70%

प्र.4 अद्यतन रिटर्न के संबंध में आय के अद्यतन से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम 2025 की धारा 263(6)(ख) के अनुसार करदाता ऐसे मामलों में अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जहाँ धारा 263(1) के अंतर्गत दाखिल मूल रिटर्न में हानि दर्शाई गई हो और बाद में दाखिल किया गया अद्यतन रिटर्न आय दर्शाता हो। तथापि धारा 263(6)(ग)(i) यह प्रतिबंध लगाती है कि यदि अद्यतन रिटर्न उस कर वर्ष के लिए हानि का रिटर्न है, तो उसे दाखिल नहीं किया जा सकता। अतः वर्तमान में, यदि पूर्व आईटीआर हानि का रिटर्न है और अद्यतन आईटीआर के माध्यम से हानि को कम करने का प्रस्ताव है, तो अद्यतन आईटीआर दाखिल नहीं किया जा सकता।

प्र.5 बजट 2026 में अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के दायरे के संबंध में क्या प्रस्तावित परिवर्तन हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम 2025 की धारा 263 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत करदाताओं को ऐसे मामलों में अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जहाँ वे नियत तिथि तक दाखिल मूल रिटर्न में दावा की गई हानि की तुलना में हानि की राशि को कम करते हैं।

प्र.6 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 280 के अंतर्गत जारी पुनःआकलन नोटिस के प्रत्युत्तर में अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के संबंध में बजट 2026 में क्या प्रस्तावित परिवर्तन हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 263(6)(ग)(v) के अनुसार, उन मामलों में अद्यतन रिटर्न दाखिल करने पर रोक है। जहाँ संबंधित कर वर्ष के लिए आकलन, पुनःआकलन, पुनर्गणना या आय के पुनरीक्षण की कोई कार्यवाही लंबित हो या पूर्ण हो चुकी हो।

इस संबंध में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत उन मामलों में भी अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी जहाँ संबंधित कर वर्ष के लिए धारा 280 के अंतर्गत जारी नोटिस के परिणामस्वरूप पुनःआकलन की कार्यवाही आरंभ की गई हो। ऐसा अद्यतन रिटर्न उस अवधि के भीतर दाखिल किया जाना होगा, जो उक्त नोटिस में निर्दिष्ट की गई हो। ऐसे रिटर्न के दाखिल किए जाने के परिणामस्वरूप, उस अद्यतन आईटीआर में दर्शाई गई आय पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।

प्र.7 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 280 के अंतर्गत जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में दाखिल किए गए अद्यतन रिटर्न के मामले में कितना अतिरिक्त कर देय होगा?

उत्तर: जहां धारा 280 के अंतर्गत जारी नोटिस के अनुपालन में अद्यतन रिटर्न दाखिल किया जाता है, वहाँ देय अतिरिक्त आयकर में कुल देय कर और ब्याज की राशि पर 10% की अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी। अर्थात् कुल अतिरिक्त आयकर निम्नानुसार होगा:

- यदि अद्यतन रिटर्न 12 माह के भीतर दाखिल किया जाता है - कुल कर और ब्याज का 35% (25% + 10%)
- यदि 12 माह के बाद किंतु 24 माह से पूर्व दाखिल किया जाता है - 60% (50% + 10%)
- यदि 24 माह के बाद किंतु 36 माह से पूर्व दाखिल किया जाता है - 70% (60% + 10%)

- यदि 36 माह के बाद किंतु 48 माह से पूर्व दाखिल किया जाता है - 80% (70% + 10%)
- यह अवधि संबंधित कर वर्ष के पश्चात आने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से गणना की जाएगी

प्र.8 क्या अद्यतन रिटर्न दाखिल करने पर पुनःआकलन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी?

उत्तर: नहीं, अद्यतन रिटर्न दाखिल करने पर पुनःआकलन की कार्यवाही समाप्त नहीं होगी। तथापि, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 280 के अंतर्गत जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में दाखिल किए गए अद्यतन रिटर्न में प्रकट की गई आय पर कम रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग से संबंधित कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।

प्र.9 कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 280 के तहत जारी पुनर्मूल्यांकन नोटिस के जवाब में अद्यतन रिटर्न और हानि को कम करने हेतु अद्यतन रिटर्न कब दाखिल कर सकता है?

उत्तर: इन मामलों में अद्यतन रिटर्न वित्त अधिनियम, 2026 के अधिनियमित होने के बाद दाखिल किया जा सकता है।

प्र.10 क्या किसी प्रकार का भुगतान या शुल्क देना आवश्यक होगा?

उत्तर: अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। अतः विस्तारित दायरे के अंतर्गत अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के लिए किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान आवश्यक नहीं है।

XX. काला धन अधिनियम - अभियोजन का युक्तिकरण (काला धन अधिनियम की धारा 49 एवं 50)

प्र.1 काला धन अधिनियम के अंतर्गत विदेशी परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण न करने पर दंड के क्या प्रावधान हैं?

उत्तर: काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्तियाँ) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत—

- काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्तियाँ) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 42 एवं 43 के अंतर्गत दंड लगाया जा सकता है, यदि कोई निवासी जानबूझकर आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है या जानबूझकर विदेशी आय अथवा विदेशी परिसंपत्तियों (अचल संपत्ति को छोड़कर) का प्रकटीकरण नहीं करता है और ऐसी परिसंपत्तियों का कुल मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक है।
- काला धन(अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्तियाँ) और कर लगाने संबंधी अधिनियम धारा 49 एवं 50 के अंतर्गत अभियोजन आरंभ किया जा सकता है, यदि कोई निवासी जानबूझकर आयकर रिटर्न

दाखिल करने में विफल रहता है या विदेशी आय अथवा परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण नहीं करता है, चाहे परिसंपत्ति का मूल्य कुछ भी क्यों न हो।

प्र.2 काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्तियाँ) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत क्या-क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं?

उत्तर: काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्तियाँ) अधिनियम, 2015 की धारा 49 एवं 50 में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार यदि विदेशी परिसंपत्तियों (अचल संपत्ति को छोड़कर) का कुल मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो इन धाराओं के अंतर्गत अभियोजन आरंभ नहीं किया जाएगा।

प्र.3 क्या यह संशोधन अचल संपत्ति पर भी लागू होता है?

उत्तर: नहीं, अभियोजन से छूट अचल संपत्ति पर लागू नहीं होती। विदेशी अचल संपत्ति के प्रकटीकरण में विफलता के मामलों में, चाहे उसका मूल्य कुछ भी क्यों न हो, मूल्य की परवाह किए बिना, काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्तियाँ) अधिनियम, 2015 की धारा 49 एवं 50 के अंतर्गत अभियोजन जारी रहेगा।

प्र.4 इन प्रावधानों के प्रयोजन हेतु 20 लाख रुपये की निर्धारित मौद्रिक सीमा की गणना कैसे की जाएगी?

उत्तर: 20 लाख रुपये की सीमा की गणना करदाता द्वारा धारित सभी विदेशी परिसंपत्तियों (अचल संपत्ति को छोड़कर) के कुल मूल्य को जोड़कर की जाएगी।

प्र.5 यदि किसी व्यक्ति के पास विदेश में 12 लाख रुपये मूल्य की भूमि, किसी विदेशी कंपनी में 5 लाख रुपये मूल्य के शेयर तथा 10 लाख रुपये शेष राशि वाला एक बैंक खाता है, तो क्या इन परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण न करने पर दंड एवं अभियोजन के प्रावधान लागू होंगे?

उत्तर: भूमि के मामले में, चूँकि यह अचल संपत्ति है, इसलिए 20 लाख रुपये से कम मूल्य होने पर भी इसका प्रकटीकरण न करने पर दंड एवं अभियोजन के प्रावधान लागू होंगे।

बैंक खाते और शेयरों के मामले में, चूँकि इनका कुल मूल्य 20 लाख रुपये से कम है, इसलिए जुर्माना और अभियोजन के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

प्र.6 संशोधित प्रावधान किस तिथि से लागू होंगे?

उत्तर: ये संशोधन 1 अक्टूबर 2024 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे, अर्थात् उस तिथि से जब दंड प्रावधानों (धारा 42 एवं 43) में संशोधन किए गए थे। काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्तियाँ) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 42 एवं 43 में किए गए संशोधनों को कानून में शामिल किए जाने की तिथि से, उपर्युक्त वर्णित मौद्रिक सीमा के अधीन लागू किया जाएगा।

XXI. धारा 466 के अंतर्गत लगाए जाने वाले दंड की निर्धारित सीमा में वृद्धि

प्र.1 आयकर अधिनियम 2025 की धारा 466 किससे संबंधित है?

उत्तर: आयकर अधिनियम 2025 की धारा 466 में धारा 254 के अंतर्गत कतिपय सूचनाओं के संग्रह से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में दंड लगाये जाने का प्रावधान किया गया है।

प्र.2 वर्तमान में इस धारा के अंतर्गत अधिकतम कितना दंड लगाया जा सकता है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 466 के अंतर्गत लगाया जाने वाला दंड अधिकतम ₹1,000 तक हो सकता है।

प्र.3 दंड कौन लगा सकता है?

उत्तर: यह दंड संयुक्त आयुक्त, उप निदेशक, सहायक निदेशक अथवा आकलन अधिकारी द्वारा लगाया जा सकता है।

प्र.4 वित्त विधेयक 2026 में आयकर अधिनियम 2025 की धारा 466 में क्या-क्या परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है?

उत्तर: धारा 466 के अंतर्गत अधिकतम दंड की राशि को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने का प्रस्ताव किया गया है।

XXII. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 446 के अंतर्गत क्रिप्टो-एसेट लेनदेन से संबंधित सूचना न देने या गलत सूचना देने पर दंड

प्र.1 क्रिप्टो-एसेट्स से संबंधित लेनदेन की रिपोर्टिंग से संबंधित क्या प्रावधान हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम 2025 की धारा 509 के अनुसार, निर्धारित रिपोर्टिंग इकाई का यह दायित्व है कि वह क्रिप्टो-एसेट्स से संबंधित लेनदेन का विवरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करे।

प्र.2 क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई दंडात्मक तंत्र है कि रिपोर्टिंग इकाई क्रिप्टो-एसेट्स के लेनदेन का सही और समय पर विवरण प्रस्तुत करे?

उत्तर: नहीं, आयकर अधिनियम, 2025 में वर्तमान में ऐसा कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है, जो इस प्रकार के विवरण में सही और समय पर सूचना सुनिश्चित करे।

प्र.3 वित्त विधेयक, 2026 में किस प्रकार का परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 में एक नए दंडात्मक धारा जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत विवरण प्रस्तुत न करने पर जब तक विफलता रहती है तब तक प्रत्येक दिन के लिए ₹200 का दंड तथा क्रिप्टो-एसेट्स के लेनदेन के विवरण में गलत सूचना देने पर प्रभावी प्रावधान की धारा 509 के अंतर्गत ₹50,000 का दंड लगाया जाएगा।

प्र.4 दंड का यह प्रावधान क्यों प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर: यह प्रावधान संबंधित रिपोर्टिंग इकाइयों द्वारा विवरण प्रस्तुत करने में अनुपालन सुनिश्चित करने तथा विवरण में गलत सूचना देने से रोकने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है।

प्र.5 उपर्युक्त संशोधन किस तिथि से प्रभावी होंगे?

उत्तर: इस संशोधन को 1 अप्रैल, 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है।

सहकारी संस्थाएं

XXIII. ऐसी सहकारी समितियों को शामिल करना जोकि बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

प्र.1 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 2(32) के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत “सहकारी समिति” का क्या अर्थ है?

उत्तर: धारा 2(32) के अंतर्गत “सहकारी समिति” से तात्पर्य ऐसी किसी भी सहकारी इकाई से है, जो निम्नलिखित में से किसी एक कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो—

- सहकारी समितियां अधिनियम, 1912; अथवा
- किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सहकारी समितियों के पंजीकरण को विनियमित करने वाला वर्तमान में प्रवृत्त कोई अन्य कानून।

प्र.2 वित्त विधेयक 2026 में “सहकारी समिति” की परिभाषा में क्या प्रस्तावित संशोधन है?

उत्तर: वित्त विधेयक, 2026 में बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी इकाइयों को भी “सहकारी समिति” की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव है। यह परिभाषा विभिन्न वैधानिक ढाँचों के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को मान्यता सुनिश्चित करती है।

प्र.3 क्या बहु-इकाई सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1942 (6 of 1942) या बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1984 (1984 का 51) के अंतर्गत पंजीकृत समितियाँ भी इस परिभाषा में आती हैं?

उत्तर: हां, बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 की निरसन और व्यावृत्त धारा के अनुसार, बहु-इकाई सहकारी समितियां अधिनियम, 1942 या बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1984 (1984 का 51) के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी बहु-राज्य सहकारी समिति, बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत मानी जाएगी। अतः ऐसी सभी समितियाँ भी इस परिभाषा में सम्मिलित होंगी।

XXIV. प्राथमिक सहकारी समिति को लाभ और प्राप्तियों की कटौती - जब वे संघीय सहकारी समिति को पशु आहार और कपास बीज की आपूर्ति करती हैं।

प्र.1 आयकर अधिनियम 2025 की धारा 149(2)(ख) के अंतर्गत वर्तमान में प्राथमिक सहकारी समिति के लिए किन वस्तुओं की आपूर्ति पर कटौती उपलब्ध है?

उत्तर: वर्तमान में यह छूट केवल उन प्राथमिक सहकारी समितियों पर लागू होती है, जो अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित या उगाई गई दूध, तिलहन, फल या सब्जियों की आपूर्ति करती हैं। केवल वही समितियाँ पात्र हैं जो “प्राथमिक समिति” और “सदस्यों द्वारा उत्पादित वस्तु” – दोनों शर्तों को पूरा करती हैं।

प्र.2 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 149(2)(ख) में प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत किन वस्तुओं को जोड़े जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर: इस कटौती के दायरे में कपास बीज और पशु आहार की आपूर्ति को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

प्र.3 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 149(2)(ख) के अंतर्गत सहकारी समितियों को कौन-सी कटौती उपलब्ध है?

उत्तर: अपने सदस्यों द्वारा उत्पादित या उगाई गई दूध, तिलहन, कपास बीज, पशु आहार, फल या सब्जियों की आपूर्ति से अर्जित लाभ एवं प्राप्तियों पर कटौती उपलब्ध है।

प्र.4 धारा 149(2)(ख) के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए प्राथमिक सहकारी समिति को अपनी उपज किसे आपूर्ति करनी चाहिए?

उत्तर: छूट का दावा करने के लिए समिति को निर्दिष्ट उपज निम्नलिखित में से किसी को आपूर्ति करनी होगी—

- ऐसी संघीय सहकारी समिति को, जो उस प्रकार की वस्तुओं की आपूर्ति के व्यवसाय में संलग्न हो;
- केंद्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को; अथवा

- सरकार की कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार) या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निगम को, जो जनता को वही वस्तुएं आपूर्ति करता हो।

प्र.5 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 149(2)(ख) के अंतर्गत दी जाने वाली छूट की सीमा क्या है?

उत्तर: यह धारा प्राथमिक सहकारी समिति की पात्र व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त संपूर्ण लाभ और प्राप्तियों पर छूट प्रदान करती है। अतः वैधानिक शर्तों की पूर्ति होने पर यह 100% छूट है।

प्र.6 धारा 149(2)(ख) के अंतर्गत कटौती की अनुमति देने के लिए प्राप्तकर्ता के व्यवसाय से संबंधित क्या शर्तें हैं?

उत्तर: जिस संघीय सहकारी समिति, सरकारी कंपनी या वैधानिक निगम को प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा उत्पाद आपूर्ति किए जाते हैं, उसे भी जनता को दूध, तिलहन, कपास बीज, पशु आहार, फल या सब्जियाँ आपूर्ति करने के व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए। छूट केवल आपूर्तिकर्ता की गतिविधियों पर ही नहीं, बल्कि प्राप्तकर्ता की पात्र गतिविधियों पर भी निर्भर करती है।

XXV. नई कर व्यवस्था के अंतर्गत सहकारी समितियों द्वारा प्राप्त लाभांश आय पर कटौती

प्र.1 सहकारी समितियों द्वारा प्राप्त लाभांश के कराधान से संबंधित क्या प्रावधान हैं?

उत्तर: किसी कंपनी से सहकारी समिति को प्राप्त लाभांश पर सहकारी समिति के हाथों में कर लगाया जाता है।

किसी अन्य सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश पर आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 149(2)(ख) के अंतर्गत कटौती की अनुमति है। यह कटौती वर्तमान में केवल पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध है।

प्र.2 सहकारी समितियों के लाभांश के संबंध में कौन-सा प्रमुख परिवर्तन प्रस्तावित है?

उत्तर: यह प्रस्ताव किया गया है कि अन्य सहकारी समितियों से प्राप्त लाभांश पर कटौती नई कर व्यवस्था के अंतर्गत भी उपलब्ध कराई जाए, बशर्ते कि ऐसा लाभांश आगे सदस्यों को वितरित किया जाए।

XXVI. नई कर व्यवस्था में अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी महासंघ को प्राप्त लाभांश आय पर कटौती

प्र.1 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 150 के अंतर्गत कौन-से प्रावधान प्रस्तावित हैं?

उत्तर: धारा 150 के अंतर्गत किसी अधिसूचित संघीय सहकारी समिति को, कंपनियों में किए गए निवेश से प्राप्त लाभांश आय पर, कुछ शर्तों के अधीन कटौती प्रदान की जाती है।

प्र.2 क्या कंपनियों से प्राप्त संपूर्ण लाभांश आय धारा 150 के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र है?

उत्तर: नहीं, केवल वही लाभांश आय पात्र होगी जो अधिसूचित संघीय सहकारी समिति द्वारा कंपनी में किए गए निवेश से प्राप्त हुई हो;

- 31 जनवरी 2026 तक सहकारी समिति की बहीखाता में दर्ज निवेश से संबंधित हो;
- कर वर्ष 2028-29 तक प्राप्त हुई हो तथा
- कंपनी से प्राप्त लाभांश को संघीय सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों में वितरित किया गया हो।

प्र.3 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 150 के अंतर्गत यह कटौती कितने वर्षों के लिए लागू होगी?

उत्तर: यह कटौती केवल 3 वर्षों के लिए, अर्थात् कर वर्षों 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए लागू होगी।

प्र.4 इस कटौती के लिए “संघीय सहकारी समिति” किसे माना जाएगा?

उत्तर: पात्र होने के लिए—

- समिति के परिभाषा बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 की धारा 3(ट) में दी गई परिभाषा के अनुसार होना चाहिए; तथा
- उसे आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 150 के प्रयोजन हेतु केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया होना चाहिए।

प्र.5 क्या प्रत्येक संघीय सहकारी समिति स्वतः इस कटौती के लिए पात्र होगी?

उत्तर: नहीं, वैधानिक परिभाषा में आने के बावजूद, लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया जाना आवश्यक है।

प्र.6 क्या धारा 150 के अंतर्गत कटौती नई कर व्यवस्था में उपलब्ध है?

उत्तर: हां, यह कटौती पुरानी तथा नई-दोनों कर व्यवस्थाओं में उपलब्ध है।

प्र.7 क्या नए निवेश से प्राप्त लाभांश पर भी यह कटौती उपलब्ध होगी?

उत्तर: नहीं, 31.01.2026 के बाद किए गए निवेश से प्राप्त लाभांश इस कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे। भले ही लाभांश कर वर्ष 2026-27 में प्राप्त हुआ हो, पात्रता के लिए निवेश 31.01.2026 से पूर्व किया गया होना चाहिए।

वैश्विक व्यापार और निवेश को आकर्षित करना

XXVII. छूट: कोई भी विदेशी कंपनी, भारत में स्पेसिफाइड डेटा सेंटर से डेटा सेंटर सेवाएं प्राप्त करने से होने वाली किसी भी आय पर [आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची IV]

प्र.1 डेटा सेंटर के संबंध में कौन-सा संशोधन प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर: एक नई धारा सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, इसके अंतर्गत किसी निर्दिष्ट डेटा सेंटर से डेटा सेंटर सेवाएं प्राप्त करने के कारण भारत में उत्पन्न, अर्जित या मानी गई आय पर विदेशी कंपनी को छूट प्रदान की जाएगी।

प्र.2 प्रस्तावित प्रावधान के अंतर्गत छूट के लिए कौन पात्र होगा?

उत्तर: केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित कोई विदेशी कंपनी इस छूट के लिए पात्र होगी।

प्र.3 प्रस्तावित प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक शर्तें क्या हैं?

उत्तर: प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं—

(क) विदेशी कंपनी निर्दिष्ट डेटा सेंटर के किसी भी भौतिक अवसंरचना या संसाधन की स्वामी या संचालक नहीं होनी चाहिए; और

(ख) भारत में स्थित उपयोगकर्ताओं को की गई सभी बिक्री, किसी भारतीय कंपनी रूपी पुनर्विक्रेता के माध्यम से की जानी चाहिए।

प्र.4 डेटा सेंटर पर कौन-सी शर्तें लागू होंगी?

उत्तर: डेटा सेंटर एक “निर्दिष्ट डेटा सेंटर” होना चाहिए। यह किसी स्वीकृत योजना के अंतर्गत स्थापित हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित हो, तथा किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्व और संचालन में हो।

प्र.5 “डेटा सेंटर सेवाएं” से क्या तात्पर्य है?

उत्तर: डेटा सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में भूमि, भवन, यांत्रिक एवं विद्युत उपकरण, कूलिंग सिस्टम, सुरक्षा, तथा आईटी अवसंरचना जैसे सर्वर, कंप्यूटर, भंडारण प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम, सुरक्षा समाधान, नेटवर्क, संबंधित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, नेटवर्किंग उपकरण एवं भारत में मानव संसाधन का उपयोग शामिल हैं।

प्र.6 उस समय का क्या प्रावधान है जब सेवाएं डाटा सेंटर द्वारा किसी संबद्ध पक्ष को प्रदान की जाती हैं?

उत्तर: पात्र करदाता और उसकी संबद्ध इकाई के बीच डेटा सेंटर सेवाओं के प्रावधान से संबंधित अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को 15% मार्जिन के साथ सुरक्षित बंदरगाह व्यवस्था में शामिल करने का प्रस्ताव है।

प्र.7 यदि क्लाउड सेवा प्रदाता भी भारतीय निवासी है तो कर देयता क्या होगी?

उत्तर: ऐसे मामले में छूट लागू नहीं होगी, क्योंकि यह प्रावधान केवल अधिसूचित विदेशी कंपनी को ही छूट प्रदान करता है।

प्र.8 यदि भारत में बिक्री पुनर्विक्रेता के माध्यम से की जाती है, तो विदेशी कंपनी की कर देयता क्या होगी?

उत्तर: चूंकि पुनर्विक्रेता के माध्यम से बिक्री करना छूट की एक शर्त है। अतः इस शर्त की पूर्ति होने पर विदेशी कंपनी की इस आय पर कोई कर देयता नहीं होगी।

प्र.9 यह छूट किस अवधि तक उपलब्ध होगी?

उत्तर: यह छूट 31 मार्च, 2047 तक उपलब्ध रहेगी।

XXVIII. छूट: सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र में स्थित निर्माता को पूंजी उपकरण उपलब्ध कराने के कारण होने वाली आय पर अनिवासी को छूट। [आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची IV]

प्र.1 प्रस्तावित प्रावधान के अंतर्गत छूट के लिए कौन पात्र होगा?

उत्तर: एक विदेशी कंपनी, जो संविदा निर्माता को विनिर्माण में उपयोग के लिए पूंजीगत सामान, उपकरण या औजार उपलब्ध करा रही है, प्रस्तावित संशोधन के तहत छूट के लिए पात्र है।

प्र.2 कौन-सी आय को छूट देने का प्रस्ताव है?

उत्तर: भारत में निवासी किसी कंपनी रूपी संविदा निर्माता को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण या टूलिंग उपलब्ध कराने से उत्पन्न कोई भी आय इस छूट के अंतर्गत आएगी।

प्र.3 प्रस्तावित प्रावधान के अंतर्गत “संविदा निर्माता” कौन होगा?

उत्तर: ऐसा संविदा निर्माता भारत में निवासी कंपनी होगी, जो किसी विदेशी कंपनी की ओर से पारिश्रमिक के बदले इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण करती है और सीमा शुल्क बंधित क्षेत्र (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 में उल्लिखित वेयरहाउस) में स्थित हो।

प्र.4 इस प्रावधान को लाने का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: इसका उद्देश्य भारत में एक भारतीय कंपनी द्वारा, जो विदेशी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट निर्माता के रूप में वस्तुएँ निर्माण कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है, ताकि उस भारतीय कंपनी को भारी पूंजीगत निवेश से राहत मिले और कुल उत्पादन लागत कम हो।

प्र.5 यह प्रस्तावित संशोधन किस अवधि के लिए लागू होगा?

उत्तर: यह संशोधन कर वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगा।

XXIX. छूट: भारत में अधिसूचित स्कीम के तहत सेवा देने वाले अनिवासी [आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची IV]

प्रश्न 1 भारत में किसी व्यक्ति के रहने से जुड़े मौजूदा नियम क्या हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 6, कर वर्ष के दौरान भारत में किसी व्यक्ति के रहने की स्थिति तय करता है। यह धारा दूसरी बातों के साथ यह भी बताती है कि कोई व्यक्ति किसी कर वर्ष में भारत का निवासी होगा, अगर वह उस कर वर्ष में कुल 182 दिन या उससे ज़्यादा समय के लिए भारत में है या उस कर वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन या उससे ज़्यादा समय के लिए भारत में है और कुछ अपवादों को छोड़कर, उस कर वर्ष से पहले के चार सालों में कुल मिलाकर 365 दिन या उससे ज़्यादा समय के लिए भारत में रहा है।

प्रश्न.2 अनिवासी के करारोपण से जुड़े मौजूदा नियम क्या हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 5, दूसरी बातों के साथ, कुल आय का दायरा बताता है। धारा 5 के अनुसार, अनिवासी की कुल आय में केवल वही आय शामिल होती है जो भारत में किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। यानी यह भारत में प्राप्त होती है या प्राप्त मानी जाती है या ऐसे कर वर्ष के दौरान भारत में अर्जित या उत्पन्न होती है या अर्जित या उत्पन्न मानी जाती है।

प्रश्न 3 क्या आयकर अधिनियम, 2025 के तहत या निवास मानदंड के संबंध में दोहरे करारोपण से बचाव के समझौते के तहत अनिवासी के मामले में कोई छूट है?

उत्तर: किसी भी देश के अनिवासी के मामले में जिसके साथ भारत का डीटीए है, कर लगाने का अधिकार निवास के देश के पास होता है, अगर भारत में प्रवास 6 महीने से कम है। यूएसए, यूके और

ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों के साथ यह सीमा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है, मौजूदा डीटीएए के अनुसार भारत में रहने की यह सीमा 2 वर्ष तक उपलब्ध है।

प्रश्न 4 प्रस्तावित नए प्रावधान में क्या प्रस्तावित है?

उत्तर: किसी व्यक्ति को, जो अनिवासी है, उस कर वर्ष से ठीक पहले लगातार पांच कर वर्षों के लिए छूट का प्रस्ताव है, जिसके दौरान वह भारत में किसी अधिसूचित स्कीम के तहत सेवा देने के लिए पहली बार भारत आता है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को छूट किसी भी ऐसी आय पर मिलेगी जो भारत के बाहर होती है, और जिसे भारत में होने वाली या होने वाली नहीं माना जाता है, और यह उस पहले कर वर्ष से शुरू होकर लगातार पांच कर वर्षों के लिए उपलब्ध होगी, जिसके दौरान वह अधिसूचित स्कीम के तहत सेवा देने के उद्देश्य से भारत आता है।

प्रश्न 5 ऐसी छूट पाने की क्या शर्तें हैं?

उत्तर: यह छूट तभी उपलब्ध है, जब ऐसा व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम के संबंध में भारत में कोई सेवा देता है और बताई गई दूसरी शर्तों को भी पूरा करता है।

प्रश्न 6 इस प्रस्तावित प्रावधान का क्या औचित्य है?

उत्तर: कई अनिवासी विशेषज्ञ अलग-अलग डोमेन एरिया में विशेष सेवा देने के लिए भारत आते हैं। लेकिन, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 6 और धारा 5 के नियमों के कारण और तय समय के बाद भारत में उनकी भौतिक मौजूदगी की वजह से, उनकी वैश्विक आय पर भारत में कर लगता है। ऐसे लोगों को भारत में खास सेवा देने के लिए बढ़ावा देने के लिए ऊपर बताए गए बदलाव का प्रस्ताव किया गया है।

XXX. अनुमानित कराधान योजना का लाभ उठाने वाले अनिवासियों को “एमएटी” से छूट

प्रश्न 1. वित्त विधेयक 2026 में अनुमानित कराधान वाले अनिवासियों के लिए “एमएटी” के प्रावधानों के संबंध में क्या संशोधन प्रस्तावित हैं?

उत्तर: “एमएटी” प्रावधानों की प्रयोज्यता से बाहर रखे जाने वाले दो और व्यवसायों को अनुमानित कराधान के अंतर्गत जोड़ने का प्रस्ताव है, क्रूज जहाजों के संचालन का व्यवसाय (निर्धारित शर्तों के अधीन) और भारत में किसी निवासी कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करने या भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, उत्पादों या चीजों के निर्माण या उत्पादन के संबंध में सेवाएं या प्रौद्योगिकी प्रदान करने का व्यवसाय।

प्रश्न 2. मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 61(2) के तहत अनुमानित कराधान के दायरे में आने वाले अनिवासी व्यवसायों की सूची क्या है?

उत्तर: निम्नलिखित अनिवासी व्यवसाय अनुमानित कराधान का विकल्प चुनने के पात्र हैं:

- जहाजों का संचालन (क्रूज जहाजों को छोड़कर)
- क्रूज जहाजों का संचालन (निर्धारित शर्तों के अधीन)
- विमानों का संचालन
- केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी टर्नकी विद्युत परियोजना के संबंध में संयंत्र या मशीनरी का सिविल निर्माण, स्थापना, परीक्षण या चालू करना
- खनिज तेलों की खोज, निष्कर्षण या उत्पादन के लिए सेवाएं या सुविधाएं (किराए पर संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति सहित) प्रदान करना
- भारत में किसी निवासी कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा स्थापित करने या भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान, वस्तु या चीज़ के निर्माण या उत्पादन के संबंध में सेवाएं या प्रौद्योगिकी प्रदान करना।

XXXI. आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची XII के अंतर्गत उन खनिजों की सूची का विस्तार करना जो आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 51 के अंतर्गत कटौती के पात्र हैं

प्रश्न 1. क्या आयकर अधिनियम, 2025 में कुछ खनिजों के लिए पूर्वक्षण आदि पर किए गए व्यय की कटौती से संबंधित कोई विशेष प्रावधान है?

उत्तर: हां, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 51 के तहत आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची XII में उल्लिखित खनिज या संबंधित खनिजों के समूह के पूर्वक्षण, निष्कर्षण या उत्पादन से संबंधित किसी भी कार्य में या ऐसे किसी खनिज या संबंधित खनिजों के समूह की खान या अन्य प्राकृतिक भंडार के विकास में किए गए व्यय की कटौती का प्रावधान है।

प्रश्न 2. आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची XII में क्या परिवर्तन प्रस्तावित हैं?

उत्तर: महत्वपूर्ण खनिजों के पूर्वक्षण, निष्कर्षण या उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची XII के भाग क में खनिजों की सूची का विस्तार किया गया है ताकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण खनिजों को भी शामिल किया जा सके, जिससे वे भी आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 51 के तहत विशेष कटौती के पात्र हो सकें।

प्रश्न 3. इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा?

उत्तर: इससे महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित खोज और अन्य संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस व्यवसाय में लगे व्यक्ति को वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष के दौरान और उससे पहले के चार वर्षों में से किसी एक या अधिक वर्षों में किए गए खर्चों को कटौती के रूप में दावा करने की अनुमति होगी। यह कटौती अगले दस वर्षों की अवधि में परिशोधित की जाएगी।

प्रश्न 4. आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची XII में उक्त परिवर्तन कब से प्रभावी होगा?

उत्तर: उक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और कर वर्ष 2026-27 और उसके बाद के वर्षों पर लागू होगा।

XXXII. कर दर का युक्तिकरण और आईएफएससी(IFSC) और ओबीयू (OBU) के लिए कटौती का विस्तार (आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 147 और 218)

प्रश्न 1 आईएफएससी(IFSC) और ओबीयू (OBU) की इकाइयों को वर्तमान में क्या कर लाभ उपलब्ध है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 147 के तहत आईएफएससी(IFSC) और ओबीयू (OBU) की इकाइयों की कुछ आय पर 100% कटौती उपलब्ध है। यह कटौती आईएफएससी(IFSC) इकाइयों के लिए 15 वर्षों में से लगातार 10 वर्षों तक और ओबीयू (OBU) के लिए लगातार 10 वर्षों तक उपलब्ध है।

प्रश्न 2 इस कटौती की नई समय सीमा क्या है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 147 के तहत, आईएफएससी(IFSC) इकाइयों के लिए 25 वर्षों में से लगातार 20 वर्षों तक और ओबीयू (OBU) के लिए भी लगातार 20 वर्षों तक 100% कटौती दी जाएगी। ये 25/20 वर्ष क्रमशः इकाइयों या ओबीयू के संबंध में आईएफएससी(IFSC) में पंजीकरण के वर्ष से गिने जाएंगे।

प्रश्न 3: कटौती की समय सीमा समाप्त होने के बाद क्या होता है?

उत्तर: कटौती की समय सीमा समाप्त होने के बाद, आईएफएससी(IFSC) में इन इकाइयों की व्यावसायिक आय पर 15% की दर से कर लगाया जाएगा।

प्रश्न 4: किस आय पर कटौती की अनुमति है?

उत्तर: कर कटौती के लिए अनुमत आय निम्नलिखित से प्राप्त आय होगी:

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित एक अपतटीय बैंकिंग इकाई; या

(ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(1) में निर्दिष्ट व्यावसायिक गतिविधियाँ, विशेष आर्थिक क्षेत्र में उपक्रमों या संस्थाओं के साथ जो विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास, विकास और संचालन करती हैं, या विकास, संचालन और रखरखाव करती हैं; या

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी इकाई की अनुमोदित व्यावसायिक गतिविधियाँ; या

(घ) खंड (ग) में निर्दिष्ट इकाई द्वारा पट्टे पर ली गई किसी परिसंपत्ति, जैसे विमान या जहाज का हस्तांतरण,

(च) यदि ऐसी इकाई ने 31 मार्च, 2030 तक अपना व्यावसायिक संचालन शुरू कर दिया हो।

प्रश्न 5: इन इकाइयों के लिए कराधान की दर क्या है जब वे कर कटौती का लाभ नहीं उठा सकतीं?

उत्तर: कर कटौती की अवधि समाप्त होने के बाद इन इकाइयों की व्यावसायिक आय पर 15% की दर से कर लगाया जाएगा।

XXXIII. आईएफएससी : आईएफएससी (IFSC) में स्थित कोषागार केंद्रों के लिए मानित लाभांश की प्रयोज्यता से छूट। [आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 2(40)]

प्रश्न 1. आईएफएससी से संबंधित आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 2(40)(v) में निहित मानित लाभांश से संबंधित वर्तमान प्रावधान क्या थे?

उत्तर: वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित को मानित लाभांश नहीं माना जाएगा: दो समूह संस्थाओं के खच कोई भी अग्रिम या ऋण, जहाँ-

- समूह संस्थाओं में से एक आईएफएससी (IFSC) में स्थित 'वित्त कंपनी' या 'वित्त इकाई' हो और
- ऐसे समूह की 'मूल या प्रमुख इकाई' भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो (बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट भारत के बाहर के देश या क्षेत्र को छोड़कर)।

प्रश्न 2. संशोधित प्रावधानों में क्या परिवर्तन हैं?

उत्तर: संशोधित प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित स्थितियों में, जिन्हें मानित लाभांश नहीं माना जाएगा, वे स्थितियां हैं:

- I. कोई अग्रिम या ऋण दो समूह संस्थाओं के बीच हो, और ऐसे समूह की 'मूल या प्रमुख संस्था' भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र (जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया गया है) के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो;
- II. ऋण या अग्रिम का लेन-देन समूह की उन संस्थाओं में से एक के बीच हो जो आईएफएससी (IFSC) में स्थित 'वित्त कंपनी' या 'वित्त इकाई' है और दूसरी संस्था जो या तो समूह की मूल या प्रमुख संस्था (जैसा कि ऊपर बताया गया है) है या कोई अन्य समूह संस्था है;
- III. समूह की मूल या प्रमुख संस्था या अन्य समूह संस्था केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट भारत के बाहर के देश या क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए।

प्रश्न 3. मौजूदा प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव करने का क्या औचित्य था?

उत्तर: मौजूदा प्रावधान अन्य समूह संस्था के स्थान को ध्यान में नहीं रखता है, जिसके साथ आईएफएससी (IFSC) में स्थित कोई संस्था ऋण और अग्रिम के रूप में लेन-देन कर सकती है। इससे मौजूदा प्रावधान का दुरुपयोग हो सकता था। इसलिए, उक्त प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

कॉर्पोरेट कर व्यवस्था का युक्तिकरण

XXXIV-मैटेरियल टैक्स ('एमएटी') में सुधार [आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 206]

प्रश्न 1 वर्तमान प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर ('एमएटी') क्या है और यह कब लगाया जाता है?

उत्तर: न्यूनतम वैकल्पिक कर केवल कंपनियों पर लगाया जाने वाला एक वैकल्पिक कर है। यह बुक प्रॉफिट के 15 प्रतिशत की दर से गणना किया जाने वाला कर है। यह केवल तभी लगाया जाता है जब न्यूनतम वैकल्पिक कर, आयकर अधिनियम, 2025 के सामान्य प्रावधानों के अनुसार आय पर कर से अधिक हो।

प्रश्न 2 सामान्य प्रावधानों के अनुसार आय पर कर से अधिक 'एमएटी' होने पर करदाता को क्या लाभ होता है?

उत्तर: 'एमएटी' के तहत भुगतान किया गया कर, सामान्य प्रावधानों के अनुसार कर से अधिक होने की सीमा तक, बाद के वर्षों में क्रेडिट के रूप में अनुमत है, जहां सामान्य प्रावधानों के तहत कर 'एमएटी' से अधिक होने पर इसे समायोजित किया जा सकता है।

प्रश्न 3 'एमएटी' के तहत क्रेडिट को कितने वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है?

उत्तर: 'एमएटी' के अंतर्गत प्राप्त क्रेडिट को संचित किया जा सकता है और उस वर्ष के तुरंत बाद आने वाले पंद्रहवें कर वर्ष तक आगे ले जाया जा सकता है, जिस वर्ष यह कर क्रेडिट पहली बार स्वीकार्य होता है।

प्रश्न 4: क्या नई कर व्यवस्था में कंपनियों पर 'एमएटी' लागू होता है?

उत्तर: नहीं, नई कर व्यवस्था में कंपनियों पर 'एमएटी' लागू नहीं होता है।

प्रश्न 5. वित्त विधेयक, 2026 में 'एमएटी' प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन क्या है?

उत्तर: इसमें निम्नलिखित प्रस्तावित हैं:

- i) पुरानी कर प्रणाली में कार्यरत कंपनियों के लिए 'एमएटी' की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत की जाएगी।
- ii) हालांकि, 'एमएटी' कर अंतिम कर होगा और 14 प्रतिशत की दर से भुगतान किए गए कर के संबंध में 01.04.2026 से कोई नया क्रेडिट स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- iii) इसके अतिरिक्त, 'एमएटी' क्रेडिट की समायोजितता केवल उन घरेलू कंपनियों को दी जाएगी जो कर वर्ष 2026-27 से नई कर प्रणाली में शामिल होती हैं।
- iv) क्रेडिट उस वर्ष की कुल कर देयता के एक-चौथाई तक सीमित होगा।
- v) 31/3/2026 तक संचित 'एमएटी' क्रेडिट उस वर्ष से पंद्रहवें वर्ष तक मान्य होगा जब संबंधित क्रेडिट पहली बार बनाया गया था।
- vi) 'एमएटी' क्रेडिट उन संस्थाओं को दिया जाएगा जो वर्तमान में पुरानी व्यवस्था में हैं और कर वर्ष 2026-27 या उसके बाद के कर वर्षों के लिए पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में स्थानांतरित होती हैं।
- vii) विदेशी कंपनियों को 'एमएटी' क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति जारी रहेगी।

प्रश्न 6. एक घरेलू कंपनी द्वारा एक वर्ष में प्रस्तावित 'एमएटी' क्रेडिट की कितनी राशि समायोजित की जा सकती है?

उत्तर: नई कर व्यवस्था में, एक घरेलू कंपनी उस वर्ष की कुल कर देयता के 25 प्रतिशत तक 'एमएटी' क्रेडिट समायोजित कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कर देयता ₹100 है, तो उस वर्ष के लिए 'एमएटी' क्रेडिट समायोजन ₹25 से अधिक नहीं हो सकता, बशर्ते कम से कम ₹25 का 'एमएटी' क्रेडिट उपलब्ध हो।

प्रश्न 7. यदि कोई कंपनी पुरानी कर व्यवस्था में है, तो 'एमएटी' प्रावधानों में प्रस्तावित परिवर्तन उसे कैसे प्रभावित करेंगे?

उत्तर: चूंकि 'एमएटी' एक अंतिम कर बन जाता है, इसलिए आगे किसी भी वर्ष के लिए कोई 'एमएटी' क्रेडिट उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे भुगतान के संबंध में कर का अनुवर्ती क्रेडिट और उसका उपयोग उपलब्ध नहीं है, 'एमएटी' की दर को बही लाभ पर 14 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।

प्रश्न 8. क्या पुरानी कर प्रणाली में कोई घरेलू कंपनी संचित 'एमएटी' क्रेडिट को समायोजित कर सकती है?

उत्तर: नहीं, किसी घरेलू कंपनी को पहले से उपलब्ध 'एमएटी' क्रेडिट को पुरानी कर प्रणाली में समायोजित नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल नई कर प्रणाली में जाने के बाद (25 प्रतिशत की सीमा के अधीन) कर वर्ष 2026-27 और उसके बाद किया जा सकता है।

प्रश्न 9. प्रस्तावित 'एमएटी' प्रावधानों का विदेशी कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: चूंकि 'एमएटी' विदेशी कंपनियों के लिए अंतिम कर बन जाता है, इसलिए अब से कोई नया 'एमएटी' क्रेडिट स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अतः, 'एमएटी' की दर को बही-खाते के लाभ पर घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।

प्रश्न 10. क्या विदेशी कंपनियां अब तक अग्रिमित किसी भी 'एमएटी' क्रेडिट को समायोजित कर सकती हैं?

उत्तर: हां, विदेशी कंपनियों के मामले में, अग्रिमित 'एमएटी' क्रेडिट को नियमित कर देयता और 'एमएटी' देयता के बीच के अंतर की सीमा तक समायोजित करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि संबंधित कर वर्ष में नियमित कर 'एमएटी' से अधिक हो।

प्रश्न 11. क्या संशोधित प्रावधानों के तहत विदेशी या घरेलू कंपनियों के लिए कोई नया 'एमएटी' क्रेडिट उत्पन्न होगा?

उत्तर: नहीं, 'एमएटी' अब पुरानी व्यवस्था के तहत एक अंतिम कर है और 'एमएटी' प्रावधान नई रियायती व्यवस्था में लागू नहीं होते हैं। इसलिए, किसी भी कंपनी के लिए कोई नया 'एमएटी' क्रेडिट उत्पन्न नहीं होगा।

प्रश्न 12. कौन सी घरेलू कंपनियाँ पिछले वर्षों से संचित 'एमएटी' क्रेडिट का उपयोग कर सकती हैं?

उत्तर: केवल वे घरेलू कंपनियाँ जो कर वर्ष 2026-27 और उसके बाद के लिए नई कर व्यवस्था में शामिल हो रही हैं, उन्हें मौजूदा 'एमएटी' क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति होगी।

प्रश्न 13. क्या 'एमएटी' क्रेडिट सेट-ऑफ पर 25 प्रतिशत की सीमा वार्षिक रूप से लागू होगी या संचयी रूप से?

उत्तर: 25 प्रतिशत की सीमा प्रति कर वर्ष लागू होती है। एक कंपनी नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक वर्ष अपनी कर देयता के 25 प्रतिशत तक 'एमएटी' क्रेडिट को सेट-ऑफ कर सकती है, जब तक कि उसका क्रेडिट बैलेंस पूरी तरह से समाप्त न हो जाए या क्रेडिट की पहली अनुमति मिलने के समय से 15 वर्ष की अवधि समाप्त न हो जाए।

प्रश्न 14. जिन कंपनियों ने पहले ही नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, उन्हें 'एमएटी' क्रेडिट के सेट-ऑफ का प्रावधान क्यों नहीं दिया गया है?

उत्तर: इस संशोधन से पहले किसी कंपनी का नई कर व्यवस्था में परिवर्तन एक व्यावसायिक निर्णय था जो वित्तीय स्थिति, संबंधित वर्षों में कटौतियों/छूटों के प्रभाव के विश्लेषण और पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में नई कर व्यवस्था में इन कंपनियों पर कर देयता के आधार पर लिया गया था। उन्हें लाभ हुआ क्योंकि उन्होंने नई व्यवस्था में लागू दरों पर कर का भुगतान किया था जो पुरानी व्यवस्था की तुलना में कम थीं।

प्रश्न 15. किन विदेशी कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर ('एमएटी') के भुगतान से छूट प्राप्त है?

उत्तर: कोई भी विदेशी कंपनी—

- जो ऐसे देश की निवासी है जिसके साथ भारत की कर संधि (डीटीएए) है और कंपनी का भारत में कोई स्थायी कार्यालय या आधार (पी ई) नहीं है।
- जो ऐसे देश की निवासी है जिसके साथ भारत की कर संधि नहीं है, और कंपनी को भारतीय कंपनी कानूनों के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
- जिसकी कुल आय पूरी तरह से विशिष्ट व्यवसायों से आती है जो आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 61(2) के तहत अनुमानित कराधान द्वारा शासित हैं, और इसने उन व्यवसायों पर लागू विशिष्ट दरों पर कर का भुगतान किया है।

प्रश्न 16. यह संशोधन कब से लागू होगा?

उत्तर: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और कर वर्ष 2025-26 और उसके बाद के कर वर्षों पर लागू होगा।

अन्य प्रत्यक्ष कर प्रावधानों का युक्तिकरण

XXXV. शेयरों की बायबैक (आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 2(40)(च) और 69)

प्रश्न 1 शेयरों की बायबैक पर प्राप्त प्रतिफल पर वर्तमान में कर कैसे लगाया जाता है?

उत्तर: मौजूदा प्रावधानों के तहत, शेयरधारकों द्वारा शेयरों की बायबैक पर प्राप्त प्रतिफल को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 2(40)(च) के तहत लाभांश माना जाता है। इस पर लागू दर से कर लगाया जाता है, यानी प्रत्येक करदाता उस कर दर पर कर का भुगतान करेगा जो उस पर लागू होती है। उदाहरण के लिए: नई व्यवस्था में एक कंपनी 22 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेगी, जबकि एक फर्म या एलएलपी 30 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करेगी (उपकर और अधिभार के अतिरिक्त)।

प्रश्न 2. वर्तमान प्रावधानों के तहत, क्या शेयरों की बायबैक पर कोई कटौती अनुमत है?

उत्तर: वर्तमान प्रावधानों के तहत, बायबैंक को लाभांश आय माना जाता है और आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 93(2)(क) के प्रावधानों के अनुसार कोई कटौती अनुमत नहीं है। हालांकि, बायबैंक पर समाप्त किए गए शेयरों की अधिग्रहण लागत को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 69 के तहत पूंजीगत हानि के रूप में अनुमत है।

प्रश्न 3. वित्त विधेयक, 2026 द्वारा शेयरों की बायबैंक पर प्राप्त प्रतिफल के कर उपचार में क्या परिवर्तन किया गया है?

उत्तर: यह प्रस्तावित है कि किसी कंपनी द्वारा शेयरों की बायबैंक पर शेयरधारक द्वारा प्राप्त प्रतिफल पर "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के तहत कर लगाया जाएगा।

प्रश्न 4. क्या बायबैंक लेनदेन के संबंध में सभी करदाताओं के लिए एक समान कर उपचार है?

उत्तर: बायबैंक से प्राप्त आय को सभी करदाताओं के लिए पूंजीगत लाभ माना जाता है। इसलिए, अधिग्रहण की लागत को बाय-बैंक प्रतिफल से घटाया जाएगा। हालांकि, प्रवर्तकों से अतिरिक्त कर वसूलने का प्रस्ताव है। प्रवर्तक श्रेणी के अंतर्गत, घरेलू कंपनियों के प्रवर्तकों और अन्य गैर-घरेलू कंपनियों के प्रवर्तकों के बीच अंतर किया गया है।

प्रश्न 5. घरेलू कंपनियों के प्रमोटरों के मामले में कर व्यवस्था क्या है?

उत्तर: घरेलू कंपनियों के प्रमोटरों के मामले में, शेयरों की बायबैंक से होने वाले पूंजीगत लाभ पर कुल कर देयता में निम्न शामिल होंगे:

- i) पूंजीगत लाभ प्रावधानों के तहत देय कर; और
- ii) एक अतिरिक्त कर।

इस प्रकार के शेयरों की बायबैंक पर कुल कर (अर्थात् (i) और (ii) का योग) 22 प्रतिशत की दर से होगा, जो नई व्यवस्था में घरेलू कंपनियों के लिए कर दर के समान है।

प्रश्न 6. घरेलू कंपनियों के अलावा अन्य प्रमोटरों के मामले में कर व्यवस्था क्या है?

उत्तर: घरेलू कंपनियों के अलावा अन्य प्रमोटरों के मामले में, शेयरों की बायबैंक से होने वाले लाभ पर कुल कर देयता में निम्न शामिल होंगे:

- i) पूंजीगत लाभ प्रावधानों के तहत देय कर; और
- ii) एक अतिरिक्त कर।

अतिरिक्त कर की गणना इस प्रकार की जाएगी कि शेयरों की बायबैंक पर कुल कर (अर्थात् (i) और (ii) का योग) 30 प्रतिशत की दर से होगा, जो फर्मी और एलएलपी के लिए कर दर और व्यक्तियों के लिए उच्चतम स्लैब दर के समान है।

प्रश्न 7 संशोधित प्रावधान किस तिथि से लागू होंगे?

उत्तर: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और कर वर्ष 2026-27 और उसके बाद के कर वर्षों पर लागू होंगे।

XXXVI. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 394(1) के तहत स्रोत पर कर संग्रह दरों का युक्तिकरण

प्रश्न 1. क्या वित्त विधेयक, 2026 में स्रोत पर कर संग्रह की दरों के संबंध में कोई परिवर्तन प्रस्तावित हैं?

उत्तर: जी हां, विभिन्न स्रोतों पर कर संग्रह दरों में परिवर्तन प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	प्राप्ति का प्रकार	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1.	मानव उपभोग के लिए मादक पेय पदार्थों की बिक्री	1 प्रतिशत	2 प्रतिशत
2.	तेंदू के पत्तों की बिक्री	5 प्रतिशत	2 प्रतिशत
3.	स्क्रेप की बिक्री	1 प्रतिशत	2 प्रतिशत
4.	खनिजों की बिक्री, जैसे कोयला, लिग्नाइट या लौह अयस्क	1 प्रतिशत	2 प्रतिशत
5.	उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत दस लाख रुपये से अधिक की किसी राशि या सकल राशि प्रेषण	(क) शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए 5 प्रतिशत (ख) शिक्षा या चिकित्सा उपचार के अलावा	(क) शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए 2 प्रतिशत (ख) शिक्षा या चिकित्सा

		अन्य प्रयोजनों के लिए 20 प्रतिशत	उपचार के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए 20 प्रतिशत
6.	“विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज” की बिक्री, जिसमें यात्रा, होटल में ठहरने, भोजन या आवास या इस तरह के अन्य संबंधित व्यय शामिल हैं।	(क) दस लाख रुपये तक की राशि या कुल राशि का 5 प्रतिशत; (ख) दस लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का 20 प्रतिशत	2 प्रतिशत

प्रश्न 2. टीसीएस दरों का युक्तिकरण क्यों किया जा रहा है?

उत्तर: टीसीएस दरों का युक्तिकरण यथासंभव एकसमान टीसीएस दर प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

प्रश्न 3. वित्त विधेयक, 2026 में प्रेषण पर टीसीएस की दर के संबंध में किए गए परिवर्तनों का विस्तार से वर्णन कीजिए?

उत्तर: वर्तमान में, शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए प्रेषण पर 5 प्रतिशत की दर से टीसीएस वसूला जाता है, जबकि शिक्षा या चिकित्सा उपचार के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए 20 प्रतिशत की दर से टीसीएस वसूला जाता है।

शिक्षा और चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए टीसीएस की दर को घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। हालांकि, शिक्षा या चिकित्सा उपचार के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए टीसीएस की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

प्रश्न 4. शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए प्रेषण पर टीसीएस दरों को कम करने का उद्देश्य क्या है?

उत्तर: दरों का युक्तिकरण प्रेषक को अधिक लिक्विडिटी प्रदान करने और निधियों के अवरोध को कम करने के लिए किया गया है। ऐसे मामले में दर को तर्कसंगत केवल इसलिए बनाया गया है कि लेनदेन पर नज़र रखी जा सके।

प्रश्न 5. क्या प्रेषण पर टीसीएस की सीमा में कोई बदलाव प्रस्तावित है?

उत्तर: नहीं, उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत प्रेषण पर टीसीएस लागू होने की सीमा पहले जैसी ही है, यानी कि 10 लाख रुपये।

प्रश्न 6. विदेशी पर्यटन पैकेज की बिक्री पर कुल कर कटौती (टीसीएस) की दर में परिवर्तन स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: दो परिवर्तन किए जा रहे हैं, यथा: (i) टीसीएस की दर में परिवर्तन; और (ii) अधिकतम सीमा का समापन। तदनुसार -

- i) दस लाख रुपये तक की कुल राशि पर 5 प्रतिशत और दस लाख रुपये से कम की कुल राशि पर 20 प्रतिशत की दर से टीसीएस विदेशी पर्यटन पैकेज की बिक्री पर लागू है। टीसीएस की दर को घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
- ii) विदेशी पर्यटन पैकेज पर टीसीएस की सीमा हटा दी गई है। विदेशी पर्यटन पैकेज के लिए भुगतान की गई राशि पर 2 प्रतिशत की दर से टीसीएस वसूला जाएगा।

प्रश्न 7. ये परिवर्तन कब से प्रभावी होंगे?

उत्तर: ये परिवर्तन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।

XXXVII. प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) की दरें (वित्त अधिनियम (संख्या 2), 2004)

प्रश्न 1. प्रतिभूतियों में विकल्पों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) के लिए वर्तमान प्रावधान क्या है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 के मौजूदा प्रावधानों और वित्त अधिनियम (संख्या 2), 2004 द्वारा शुरू किए गए एसटीटी ढांचे के तहत, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से किए गए निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लेनदेन पर एसटीटी लगाया जाता है। प्रतिभूतियों में विकल्पों पर लागू वर्तमान दरें विकल्प की बिक्री पर विकल्प प्रीमियम का 0.1 प्रतिशत और प्रयोग किए जाने पर विकल्प की बिक्री पर आंतरिक मूल्य का 0.125 प्रतिशत हैं।

प्रश्न 2. प्रतिभूतियों में वायदा पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) के लिए वर्तमान प्रावधान क्या है?

उत्तर: वित्त अधिनियम (संख्या 2), 2004 द्वारा लागू मौजूदा प्रावधानों और एसटीटी ढांचे के तहत, प्रतिभूतियों में वायदा पर लागू वर्तमान दर वायदा की बिक्री पर कारोबार मूल्य का 0.02 प्रतिशत है।

प्रश्न 3: वित्त अधिनियम द्वारा प्रतिभूति लेनदेन कर की दरों में डेरिवेटिव लेनदेन पर प्रतिभूति लेनदेन कर क्या परिवर्तन किए गए हैं?

उत्तर: वित्त अधिनियम मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर किए गए निर्दिष्ट डेरिवेटिव लेनदेन पर लागू प्रतिभूति लेनदेन कर की दरों में संशोधन का प्रावधान करता है। संशोधित दरें प्रतिभूतियों में विकल्पों की

बिक्री, प्रतिभूतियों में विकल्पों की बिक्री जहां विकल्प का प्रयोग किया जाता है, और प्रतिभूतियों में वायदा की बिक्री पर लागू होती हैं।

प्रश्न 4. प्रतिभूतियों में विकल्प की बिक्री पर प्रतिभूति लेनदेन कर की संशोधित दर क्या है?

उत्तर: प्रतिभूतियों में विकल्प की बिक्री पर प्रतिभूति लेनदेन कर की दर 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर दी गई है, और कर की गणना विकल्प प्रीमियम पर की जाएगी।

प्रश्न 5. प्रतिभूतियों में विकल्प की बिक्री पर प्रतिभूति लेनदेन कर की संशोधित दर क्या है, जहां विकल्प का प्रयोग किया जाता है?

उत्तर: प्रतिभूतियों में विकल्प की बिक्री पर प्रतिभूति लेनदेन कर की दर 0.125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत कर दी गई है, और कर की गणना विकल्प के आंतरिक मूल्य पर की जाएगी।

प्रश्न 6. प्रतिभूतियों में वायदा की बिक्री पर प्रतिभूति लेनदेन कर की संशोधित दर क्या है?

उत्तर: प्रतिभूतियों में वायदा बिक्री पर प्रतिभूति लेनदेन कर की दर 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दी गई है, और कर की गणना वायदा के व्यापार मूल्य पर की जाएगी।

प्रश्न 7. प्रतिभूति लेनदेन कर की संशोधित दरें किस तिथि से लागू होंगी?

उत्तर: संशोधित दरें 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगी और उस तिथि को या उसके बाद किए गए प्रतिभूतियों में डेरिवेटिव लेनदेन पर लागू होंगी।

XXXVIII. संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड (SGB) के संबंध में स्पष्टीकरण [आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 70(1)(x)]

प्रश्न.1 संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड पर पूंजीगत लाभ के लिए वर्तमान प्रावधान क्या है?

उत्तर: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड के मोचन से प्राप्त पूंजीगत लाभ आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 70(1)(x) के प्रावधानों के तहत कर मुक्त हैं।

प्र.2 संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड के मोचन से प्राप्त पूंजीगत लाभ पर छूट के संबंध में क्या संशोधन प्रस्तावित है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 70(1)(x) में संशोधन किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि पूंजीगत लाभ कर से छूट केवल तभी उपलब्ध होगी जब संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड किसी व्यक्ति द्वारा मूल निर्गम के समय खरीदा गया हो और परिपक्वता पर मोचन तक निरंतर धारित रखा गया हो।

प्रश्न 3. क्या यह छूट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड पर समान रूप से लागू होती है?

उत्तर: हां, संशोधित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड पर समान रूप से लागू होता है, चाहे बॉन्ड किसी भी श्रृंखला में जारी किए गए हों, बशर्ते निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया गया हो।

प्रश्न 4. क्या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 70(1)(x) के अंतर्गत छूट द्वितीयक बाजार लेनदेन के माध्यम से प्राप्त संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड पर लागू होगी?

उत्तर: नहीं, द्वितीयक बाजार में हस्तांतरण या खरीद के माध्यम से प्राप्त संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड पर यह छूट लागू नहीं होगी। यह छूट केवल उन बॉन्ड तक सीमित है जिन्हें किसी व्यक्ति द्वारा मूल निर्गम के समय अधिसूचित किया गया हो। आर्थिक मामलों के विभाग ने दिनांक 06.12.2022 के अपने कार्यालय ज्ञापन में भी यह स्पष्ट किया था।

प्रश्न 5. क्या संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड के समयपूर्व मोचन के मामलों में यह छूट उपलब्ध होगी?

उत्तर: नहीं, यह छूट केवल तभी लागू होगी जब संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड परिपक्वता पर मोचन तक निरंतर धारित रखा जाए। निर्धारित लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद भी समयपूर्व मोचन छूट के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रश्न 6. संशोधित प्रावधान किस तिथि से लागू होंगे?

उत्तर: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और 2026-27 के कर वर्ष और उसके बाद के कर वर्षों पर लागू होगा।

प्रश्न 7. इस संशोधन के परिणामस्वरूप संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड के मोचन पर कराधान क्या होगा?

उत्तर: कराधान निम्नानुसार होगा:

क्र.सं.	शर्तें	करदेयता
क)	यदि निर्गमन के समय खरीदा गया हो और परिपक्वता तक रखा गया हो:	कर मुक्त
ख)	यदि निर्गमन के समय नहीं खरीदा गया हो और परिपक्वता तक रखा गया हो:	कर योग्य
ग)	यदि निर्गमन के समय खरीदा गया हो लेकिन परिपक्वता तक नहीं रखा गया हो:	कर योग्य
घ)	यदि न तो निर्गमन के समय खरीदा गया हो	कर योग्य

	और न ही परिपक्वता तक रखा गया हो:	
--	----------------------------------	--

XXXIX. भविष्य निधि व्यवस्था का युक्तिकरण (आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची XI)

प्रश्न 1. आयकर अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाली वर्तमान व्यवस्था क्या है?

उत्तर: वर्तमान में, भविष्य निधि आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची XI द्वारा नियंत्रित होती है, जिसके अंतर्गत इन्हें मान्यता प्राप्त है और ये कुछ प्रतिबंधों के अधीन हैं, जिनमें शामिल हैं:

नियोक्ता अंशदान पर समता-आधारित सीमाएँ, अतिरिक्त अंशदान पर प्रतिशत सीमाएँ, कर्मचारी-शेयरधारकों के लिए विभेदित सीमाएँ और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश सीमाएँ, आदि। आयकर अधिनियम, 2025 की अन्य धाराएँ जो ऐसे भविष्य निधियों पर लागू होती हैं, उनमें आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 2(91) के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की परिभाषा, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 123 और अनुसूची XV के तहत कटौती, और आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची VII (तालिका क्रमांक 22) के तहत छूट शामिल हैं।

प्रश्न 2. आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों से संबंधित अनुसूची XI में क्या परिवर्तन प्रस्तावित हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची XI को युक्तिसंगत बनाने के लिए भाग क और ग में कुछ प्रावधानों को हटाने या संशोधित करने का प्रस्ताव है, ताकि मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों को नियंत्रित करने वाले आयकर ढांचे को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के वैधानिक और प्रशासनिक प्रावधानों तथा आयकर अधिनियम, 2025 के अन्य प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।

प्रश्न 3. प्रस्तावित संशोधन के बाद मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों में नियोक्ता के अंशदान को कैसे नियंत्रित किया जाएगा?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची XI में वे प्रावधान जो कर्मचारी अंशदान के साथ समानता, वार्षिक जमा करने की आवश्यकताओं या वेतन के प्रतिशत की सीमा के संदर्भ में नियोक्ता के अंशदान को प्रतिबंधित करते हैं, उन्हें हटाने का प्रस्ताव है। नियोक्ता योगदान आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1)(ज) के तहत निर्धारित 7.5 लाख रुपये की कुल मौद्रिक सीमा द्वारा शासित होंगे।

प्रश्न 4. आयकर अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि की मान्यता के संबंध में क्या परिवर्तन प्रस्तावित है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत मान्यता केवल उन भविष्य निधियों को ही प्राप्त होगी जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त

है। आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची 11 में इस आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए संशोधन प्रस्तावित है।

प्रश्न 5. निर्धारित सीमा से अधिक नियोक्ता अंशदान पर कर का निर्धारण कैसे किया जाएगा?

उत्तर: नियोक्ता अंशदान आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1)(ज) के अंतर्गत निर्धारित मौद्रिक सीमा के अधीन होगा। इस मौद्रिक सीमा के पार हो जाने पर, अंशदान पर अनुलाभ के रूप में कर लगाया जाएगा। आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची XI में नियोक्ता अंशदान को आय मानने वाले मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करने का प्रस्ताव है।

प्रश्न 6. क्या नियोक्ता कंपनी के शेयरधारक कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतर लागू रहेगा?

उत्तर: नियोक्ता कंपनी के शेयरधारक कर्मचारियों पर कोई अलग सीमा या शर्तें लागू नहीं होंगी। अनुसूची 11 में वर्तमान में निर्धारित विभेदित सीमाओं को हटाने का प्रस्ताव है, और ऐसे कर्मचारी अन्य कर्मचारियों के समान अंशदान ढांचे के अंतर्गत आएंगे, अर्थात् आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1)(ज) में निर्धारित सीमा और ईपीएफओ (EPFO) द्वारा निर्धारित ढांचा।

प्रश्न 7. सरकारी प्रतिभूतियों में भविष्य निधि के निवेश के संबंध में क्या परिवर्तन प्रस्तावित है?

उत्तर: सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को पचास प्रतिशत तक सीमित करने वाली कठोर वैधानिक सीमा को हटाने का प्रस्ताव है। निवेश मानदंड लागू ईपीएफ ढांचे और अधीनस्थ कानून के तहत विनियमित होते रहेंगे।

प्रश्न 8. संशोधित प्रावधान किस तिथि से लागू होंगे?

उत्तर: ये संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और 2026-27 के कर वर्ष और उसके बाद के कर वर्षों पर लागू होंगे।

XL. लाभांश पर ब्याज कटौती (आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 93)

प्रश्न 1. म्यूचुअल फंड इकाइयों से प्राप्त लाभांश या आय पर कटौती के रूप में कौन से व्यय की अनुमति है?

उत्तर: वर्तमान में, यदि लाभांश से आय अर्जित करने के लिए कोई ब्याज व्यय किया जाता है, तो व्यय एक निश्चित सीमा के अधीन अनुमत है।

प्रश्न 2. म्यूचुअल फंड इकाइयों से प्राप्त लाभांश या आय पर ब्याज व्यय की कटौती की सीमा क्या है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 93 के तहत, ब्याज व्यय सकल लाभांश या म्यूचुअल फंड आय के बीस प्रतिशत तक अनुमत है।

उदाहरण के लिए: यदि लाभांश से कुल आय 1,00,000 रुपये है और ब्याज व्यय 25,000 रुपये है, तो कटौती 20,000 रुपये तक अनुमत होगी।

प्रश्न 3. वित्त विधेयक 2026 द्वारा ब्याज व्यय की कटौती के इस प्रावधान में क्या कोई परिवर्तन प्रस्तावित हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 93 में संशोधन प्रस्तावित है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि लाभांश आय या म्यूचुअल फंड की इकाइयों से प्राप्त आय पर किए गए किसी भी ब्याज व्यय के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है।

प्रश्न 4. क्या कोई करदाता लाभांश आय और म्यूचुअल फंड इकाइयों से होने वाली आय के विरुद्ध ब्याज व्यय के अलावा किसी अन्य व्यय का दावा कर सकता है?

उत्तर: लाभांश आय और म्यूचुअल फंड इकाइयों से होने वाली आय के विरुद्ध किसी भी व्यय को कटौती के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 5. संशोधन के बाद लाभांश आय और म्यूचुअल फंड इकाइयों से होने वाली आय की गणना कैसे की जाएगी?

उत्तर: लाभांश आय और म्यूचुअल फंड इकाइयों से होने वाली आय की गणना ब्याज व्यय के लिए किसी भी कटौती की अनुमति दिए बिना की जाएगी, चाहे कोई उधार लिया गया हो या नहीं, चाहे उसे ऐसी आय से संबंधित बताया गया हो या नहीं।

प्रश्न 6. क्या प्रस्तावित संशोधन के बाद यह कटौती व्यक्तियों को उपलब्ध है?

उत्तर: नहीं, प्रस्तावित संशोधन के बाद, किसी भी करदाता, जिसमें व्यक्ति भी शामिल हैं, को ऐसी आय के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रश्न 7. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 93 के संशोधित प्रावधान किस तिथि से लागू होंगे?

उत्तर: यह संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और 2026-27 के कर वर्ष और उसके बाद के कर वर्षों पर लागू होगा।

प्रश्न 8. यदि शेयरों को स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखा जाए तो क्या स्थिति होगी?

उत्तर: ऐसे मामले में, लाभ एवं हानि खाते में ब्याज व्यय को कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। इसलिए, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 93 के तहत इस मद पर कोई अतिरिक्त कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती।

XLI. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ज) के तहत निरसन और व्यावृत्ति खंड में संशोधन

प्रश्न 1. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ज) का प्रावधान क्या है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ज) में यह प्रावधान है कि जहां निरस्त आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कटौती की अनुमति दी गई है या किसी आय को कुल आय में शामिल नहीं किया गया है, निरस्त अधिनियम की संबंधित धाराओं में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन के कारण, वह आय आयकर अधिनियम, 2025 के तहत उस वर्ष में कल्पित आय बन जाएगी जिसमें उल्लंघन होता है।

प्रश्न 2. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 536(2)(ज) में क्या परिवर्तन प्रस्तावित हैं?

उत्तर: यह प्रस्तावित है कि कोई भी राशि जिसे कटौती के रूप में अनुमति दी गई है या जिसे निरस्त आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी अन्य कारण से कुल आय में शामिल नहीं किया गया है, उस व्यक्ति की आय मानी जाएगी, यदि ऐसी राशि को निरस्त आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी अन्य कारण से कुल आय में शामिल किया जाना था।

प्रश्न 3. उपरोक्त परिवर्तन प्रस्तावित क्यों किया गया है?

उत्तर: वर्तमान प्रावधान केवल उन स्थितियों को कवर करता है जहां निरस्त अधिनियम की संबंधित धाराओं में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन पर, राशि को व्यक्ति की आय माना जाएगा।

हालांकि, यह उन स्थितियों को कवर नहीं करता है जहां निरस्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी शर्त का उल्लंघन न होने पर भी राशि को कुल आय में जोड़ा जाना आवश्यक है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी राशियों को आयकर अधिनियम, 2025 के तहत व्यक्ति की आय माना जाए, उपरोक्त परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है।

प्रश्न 4. इस संशोधन का क्या प्रभाव है?

उत्तर: यह संशोधन स्पष्टता प्रदान करेगा कि कोई भी राशि जिसे कटौती के रूप में अनुमति दी गई थी या जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के तहत कुल आय में शामिल किया गया था, उसे आय माना जाएगा, यदि उक्त अधिनियम के तहत इसे कुल आय में जोड़ा जाना आवश्यक था चाहे शर्तों के उल्लंघन या कोई अन्य कारण ही क्यों न हो।

प्रश्न 5. उक्त परिवर्तन कब से प्रभावी होगा?

उत्तर: उक्त परिवर्तन 1.4.2026 से प्रभावी होगा।

XLII. अंतर्देशीय जलयानों पर भी टन भार कर योजना को लागू करना विस्तार (आयकर अधिनियम, 2025 का अध्याय XIII-छ)

प्रश्न 1 टन भार कर योजना क्या है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 के अध्याय XIII-छ में दी गई टन भार कर योजना, शिपिंग कंपनियों के लिए एक अनुमानित कर योजना है जो उन्हें अपने लाभ की गणना अनुमानित आधार पर करने की अनुमति देती है।

प्रश्न 2 आयकर अधिनियम, 2025 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार टन भार कर योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

उत्तर: वे शिपिंग कंपनियां जो 'पात्र समुद्री जहाज' संचालित करती हैं और जो व्यापारिक जहाजयान अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत हैं, टन भार कर योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। वित्त अधिनियम, 2025 के माध्यम से, इस अध्याय के प्रावधानों को अंतर्देशीय जल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों पर भी विस्तारित किया गया था।

प्रश्न 3. वित्त विधेयक, 2026 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 2025 के अध्याय XIII-छ में क्या परिवर्तन प्रस्तावित हैं?

उत्तर: अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रासंगिक संदर्भ प्रदान करते हुए इस अध्याय में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं।

प्रश्न 4. इस संशोधन का क्या प्रभाव होगा?

उत्तर: यह संशोधन अध्याय में दिए गए संदर्भों को अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप लाएगा।

प्रश्न 5. उपरोक्त संशोधन किस तिथि से प्रभावी होगा?

उत्तर: इस संशोधन को 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

XLIII. विकलांगता पेंशन (आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची III)

प्र.1 सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए विकलांगता पेंशन की कर देयता क्या है?

उत्तर: सशस्त्र बल के कर्मचारियों को उनकी सशस्त्र बल में सेवा के दौरान होने वाली अपंगता के कारण सेवा से बाहर किये जाने पर मिलने वाली विकलांगता पेंशन को कर से मुक्त रखा गया है।

प्र.2 आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए विकलांगता पेंशन को छूट प्रदान करने वाले प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: यह छूट सर्वप्रथम आयकर अधिनियम, 1922 के तहत प्रदान की गई थी और आयकर अधिनियम, 1961 के निरसन और व्यावृत्त खंड के माध्यम से जारी रही है। यह छूट अधिसूचनाओं, प्रशासनिक निर्देशों और स्पष्टीकरण परिपत्रों के माध्यम से लागू की गई है।

प्र.3 वित्त विधेयक, 2026 द्वारा सशस्त्र बलों के कर्मियों की विकलांगता पेंशन के संबंध में क्या प्रावधान प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि सशस्त्र बलों के उन सदस्यों द्वारा प्राप्त विकलांगता पेंशन को छूट दी जा सके जिन्हें सैन्य, नौसेना या वायु सेना सेवा के कारण शारीरिक विकलांगता के चलते सेवा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

प्रश्न 4. विकलांगता पेंशन के कौन-कौन से घटक छूट के अंतर्गत आते हैं?

उत्तर: यह छूट विकलांगता पेंशन के दोनों घटकों, अर्थात् सेवा घटक और विकलांगता घटक पर लागू होती है, बशर्ते निर्दिष्ट शर्तें पूरी हों।

प्रश्न 5. किन मामलों में विकलांगता पेंशन पर छूट उपलब्ध नहीं होगी?

उत्तर: यह छूट उन मामलों में उपलब्ध नहीं होगी जहां व्यक्ति अधिवर्षिता के आधार पर या किसी अन्य तरीके से सेवानिवृत्त हुआ हो।

प्रश्न 6. क्या यह छूट अर्धसैनिक बलों के लिए उपलब्ध है?

उत्तर: हां, इस प्रस्तावित संशोधन में अर्धसैनिक बलों को भी छूट प्रदान की गई है।

प्रश्न 7. संशोधित प्रावधान किस तिथि से लागू होंगे?

उत्तर: यह छूट 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी और कर वर्ष 2026-27 और उसके बाद के कर वर्षों पर लागू होगी।

प्रश्न 8. यदि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर्मियों को छूट उपलब्ध है, तो इस प्रकार के संशोधन की क्या आवश्यकता है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत छूट निरसन और उसमें निहित व्यावृत्त खंड के माध्यम से प्रदान की गई थी, जिसके तहत भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 और संबंधित परिपत्रों के अंतर्गत प्रदान की गई छूट लागू रहती थी। आयकर अधिनियम, 1961 के जल्द ही निरस्त होने के साथ, विकलांगता पेंशन से संबंधित प्रावधान अब लागू नहीं होंगे। इसलिए, आयकर अधिनियम, 2025 में विकलांगता पेंशन के लिए छूट का स्पष्ट प्रावधान करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, छूट का दायरा बढ़ाकर इसमें अर्धसैनिक बलों को भी शामिल किया गया है।

XLIV. छूट: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर.अधिनियम) के तहत भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए दिए गए पंचाट/समझौते से संबंधित आय। [आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची III]

प्रश्न 1. आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आयकर से छूट से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

उत्तर: आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर अधिनियम की धारा 96 में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी पंचाट या समझौते (धारा 46 के तहत दिए गए समझौतों को छोड़कर) पर आयकर नहीं लगाया जाएगा।

प्रश्न 2. आयकर अधिनियम, 2025 और आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर अधिनियम, 2013 के तहत छूट के ऐसे प्रावधानों को लाने की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण से प्राप्त पूंजीगत लाभ पर कर छूट दी गई है। हालांकि, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम आयकर से छूट प्रदान करने के मामले में कृषि भूमि और गैर-कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्राप्त मुआवजे में कोई अंतर नहीं करता है।

तदनुसार, दोनों अधिनियमों के नियमों में स्पष्टता लाने और उन्हें एक जैसा करने के लिए यह बदलाव प्रस्तावित किया गया है।

प्रश्न 3. आयकर अधिनियम, 2025 में उपर्युक्त आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दी गई छूट के संबंध में क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया है?

उत्तर: प्रस्तावित संशोधन में, किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार की किसी भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के कारण दिए गए किसी पुरस्कार या समझौते से संबंधित आय (धारा 46 के अंतर्गत दिए गए पुरस्कार और समझौते को छोड़कर) को छूट दी जाएगी, चाहे उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसा अनिवार्य अधिग्रहण कृषि भूमि का हो या गैर-कृषि भूमि का।

प्रश्न 4. प्रस्तावित संशोधन 1.4.2026 (अर्थात् कर वर्ष 2026-27) से प्रभावी हो गया है। पूर्ववर्ती लेन-देन का क्या होगा?

उत्तर: 1 अप्रैल, 2026 से पहले (वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) भूमि अधिग्रहण को सीबीडीटी परिपत्र संख्या 36/2016 दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार छूट मिलती रहेगी।

XLV. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 169

प्रश्न 1. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता क्या है?

उत्तर: अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (एपीए) एक ऐसा तंत्र है जो करदाताओं को कर संबंधी निश्चितता प्रदान करता है। इसके तहत, किसी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के संबंध में उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है या उस मूल्य को निर्धारित करने का तरीका निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रश्न 2. आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 169 में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के प्रभाव से संबंधित क्या प्रावधान हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 169 में अन्य बातों के अलावा, एपीए में प्रवेश करने वाले व्यक्ति द्वारा रिटर्न में संशोधन करने और ऐसे रिटर्न को ध्यान में रखने का प्रावधान है, यदि उस कर वर्ष के संबंध में कोई निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही लंबित है।

प्रश्न 3 आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 169 के प्रावधानों में क्या संशोधन किया गया है?

उत्तर: प्रस्तावित संशोधन के तहत, एपीए (सहयोगात्मक समझौता) में शामिल व्यक्ति के संबद्ध उद्यम को संबंधित कर वर्षों के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी गई है।

प्रश्न 4 इस संशोधन का औचित्य क्या है?

उत्तर: एपीए न केवल समझौते में शामिल व्यक्ति की आय को संशोधित कर सकता है, बल्कि समझौते के अंतर्गत आने वाले कर वर्षों के लिए उसके संबद्ध उद्यम की आय को भी संशोधित कर सकता है।

इससे संबद्ध उद्यम के हाथों में एपीए के विषय वस्तु वाली आय पर दोहरा कराधान हो सकता है। इसलिए, मौजूदा प्रावधान को तर्कसंगत बनाने के लिए उक्त संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

आयकर की दर

XLVI. आयकर की दरें

प्रश्न 1. 'नई व्यवस्था' क्या है? [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 खकग(1क) और आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 202]

उत्तर: नई व्यवस्था में रियायती कर दरें और उदार कर स्लैब निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, नई व्यवस्था में (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 खकग(1क) या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 202 में निर्दिष्ट कटौतियों के अलावा) कोई कटौती अनुमत नहीं है।

प्रश्न 2. वर्तमान प्रावधानों के तहत नई कर व्यवस्था में कर दरें क्या हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 खकग(1क) के तहत निर्धारण वर्ष (AY) 2026-27 के लिए नई कर व्यवस्था में कर दरें निम्न हैं:

क्र.सं.	कुल आय	धारा 115 खकग(1क) के तहत निर्धारण वर्ष 2026- 27 के लिए कर की दर (%)
(1)	(2)	(3)
1	₹ 4,00,000 तक	शून्य
2	₹ 4,00,001 से ₹ 8,00,000 तक	5
3	₹ 8,00,001 से ₹ 12,00,000 तक	10
4	₹ 12,00,001 से ₹ 16,00,000 तक	15
5	₹ 16,00,001 से ₹ 20,00,000 तक	20
6	₹ 20,00,001 से ₹ 24,00,000 तक	25
7	₹ 24,00,000 से ऊपर	30

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 202 के तहत निर्धारित कर वर्ष (वर्ष 2026-27) से आगे के लिए नई कर व्यवस्था में कर दरें इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	कुल आय	धारा 202 के अंतर्गत कर वर्ष 2026-27 से कर की प्रभावी दर (%)
(1)	(2)	(3)
1	₹ 4,00,000 तक	शून्य
2	₹ 4,00,001 से ₹ 8,00,000 तक	5
3	₹ 8,00,001 से ₹ 12,00,000 तक	10
4	₹ 12,00,001 से ₹ 16,00,000 तक	15
5	₹ 16,00,001 से ₹ 20,00,000 तक	20
6	₹ 20,00,001 से ₹ 24,00,000 तक	25

7	₹ 24,00,000 से ऊपर	30
---	--------------------	----

प्रश्न 3. नई कर व्यवस्था किन व्यक्तियों पर लागू होती है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 खकग(1क) और आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 202 के अंतर्गत नई कर व्यवस्था उन व्यक्तियों पर लागू होती है, जो व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ (सहकारी समिति के अलावा), व्यक्तियों का निकाय (चाहे निगमित हो या नहीं), या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(31)(vii) या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 2(77)(च) में निर्दिष्ट कृत्रिम कानूनी व्यक्ति हों।

प्रश्न 4. व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अधिकतम कुल आय कितनी है जिस पर कर देयता शून्य है?

उत्तर: नई कर व्यवस्था में, व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर देयता शून्य होने की अधिकतम कुल आय ₹12 लाख है, जो छूट के दावे के कारण है।

प्रश्न 5. ऊपर उल्लिखित शून्य कर देयता का लाभ उठाने के लिए क्या कदम उठाने होंगे?

उत्तर: ऊपर उल्लिखित शून्य कर देयता का लाभ केवल नई कर व्यवस्था में ही उपलब्ध है। यह नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट व्यवस्था है। नई कर व्यवस्था के प्रस्तावित प्रावधानों के तहत अनुमत छूट का लाभ उठाने के लिए, एक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

प्रश्न 6. क्या नई व्यवस्था में वेतन पर मानक कटौती उपलब्ध है?

उत्तर: हां, नई व्यवस्था में करदाता को ₹75,000 की मानक कटौती उपलब्ध है। इसलिए, वेतनभोगी करदाता को कोई कर नहीं देना होगा, यदि मानक कटौती से पहले उसकी आय ₹12,75,000 से कम या उसके बराबर है।

प्रश्न 7. व्यक्तियों को सीमांत राहत कैसे मिलती है?

उत्तर: नई व्यवस्था में, सीमांत राहत केवल उन निवासी व्यक्तियों को उपलब्ध है जिनकी आय ₹ 12 लाख से थोड़ी अधिक है। उदाहरण के लिए, ₹ 12,10,000/- की आय वाले व्यक्ति के लिए, सीमांत राहत के अभाव में, कर ₹61,500/- (₹4 लाख का 5% + ₹4 लाख का 10% + ₹10 हजार का 15%) बनता है। हालांकि, सीमांत राहत के कारण, वास्तव में देय कर की राशि ₹10,000/- है।

प्रश्न 8. ₹12,10,000 की आय वाले करदाता द्वारा कितना कर अदा किया जाएगा? सीमांत राहत क्या है?

उत्तर: ऐसे करदाता पर कर की देयता केवल स्लैब के अनुसार ₹61,500 है। हालांकि, ₹12 लाख की आय वाले व्यक्ति को शून्य कर देना पड़ता है। सीमांत राहत प्रदान करके यह सुनिश्चित किया गया है कि ₹12 लाख से थोड़ी अधिक आय वाले व्यक्ति को केवल ₹12 लाख से अधिक की आय के बराबर सीमांत

कर का भुगतान करना होगा, ताकि उसकी घर ले जाने वाली राशि भी ₹12 लाख हो। इस स्थिति में, उसे ₹10,000 का कर देना होगा।

आय (₹ में)	सीमांत राहत के बिना कर(₹ में)	सीमांत राहत सहित वास्तव में देय कर सीमांत राहत (₹ में)
12,10,000	61,500	10,000
12,25,000	63,750	25,000
12,50,000	67,500	50,000
12,70,588	70,588	70,588 [कोई सीमांत राहत नहीं]

प्रश्न 9. सीमांत राहत की गणना कैसे की जाती है?

उत्तर: सीमांत राहत की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है:-

(i) सर्वप्रथम स्लैब दर के अनुसार कर की गणना कुल आय पर की जाती है।

उदाहरण के लिए, ऊपर दिए गए प्रश्न 7 के उत्तर में, ₹12,10,000/- की कुल आय पर कर की गणना निम्नलिखित चरणों में की जाएगी:

क्र.सं.	कर की राशि (कुल आय ₹12,10,000/- में से)	कर राशि (वर्ग के अनुसार) दर
1.	प्रारंभिक राशि ₹4 लाख पर	शून्य (मूल छूट)
2.	₹4 लाख की अतिरिक्त राशि पर कर (₹4 लाख से ₹8 लाख तक)	₹20,000 (₹4 लाख का 5%)
3.	₹4 लाख की अतिरिक्त राशि पर कर (₹8 लाख से ₹12 लाख तक)	₹40,000 (₹4 लाख का 10%)

4.	शेष राशि ₹10,000 पर कर	(₹1500)
	कुल कर देयता	₹61,500

- (ii) ₹12,00,000/- की कुल आय पर देय कर, जिस पर छूट उपलब्ध है, शून्य है।
- (iii) अब सीमांत राहत के बिना कर देयता (इस मामले में ₹ 61,500) की तुलना उस राशि से की जाएगी जो कुल आय से अधिक है जिस पर छूट उपलब्ध है [इस मामले में ₹ 10,000, [अर्थात् ₹12,10,000 - ₹12,00,000]
- (iv) सीमांत राहत की गणना ₹ 12,10,000/- से अधिक आय (अर्थात् ₹10,000) को घटाकर की जाएगी। इस मामले में निर्धारित कुल कर देयता (अर्थात् ₹61,500) में से ₹10,000/- (अर्थात् ₹10,000) को घटाया जाएगा। जैसा कि ऊपर सारणीबद्ध है।
- (v) अतः, उपरोक्त मामले में सीमांत राहत ₹51,500 (₹61,500 - ₹10,000 = ₹51,500-) है, जो स्वीकृत है।
- (vi) अतः देय कर ₹ 10,000 [₹61,500 - ₹51,500] है।

प्रश्न 10. किसी करदाता को अधिकतम कितनी छूट मिल सकती है?

उत्तर: अधिकतम ₹60,000 की छूट उस करदाता को मिलती है जिसकी आय ₹12 लाख है और जिस पर नए कर स्लैब के अनुसार कर देय है।

प्रश्न 11. सीमांत राहत किस कुल आय तक स्वीकार्य है?

उत्तर: सीमांत राहत ₹12,70,588/- तक स्वीकार्य है।

प्रश्न 12. क्या पूंजीगत लाभ, लॉटरी आदि जैसी विशेष दरों वाली आय भी छूट के लिए पात्र है?

उत्तर: पूंजीगत लाभ, लॉटरी या किसी अन्य ऐसी आय पर छूट उपलब्ध नहीं है जिस पर अधिनियम में विशेष दर का प्रावधान है। यह केवल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 खकग(1क) या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 202 के अंतर्गत निर्धारित कर स्लैब पर ही उपलब्ध है।

प्रश्न 13 छूट और सीमांत राहत में क्या अंतर है?

उत्तर: छूट कर में कटौती है जो नई व्यवस्था में ₹12 लाख तक की आय वाले करदाताओं को उपलब्ध है। सीमांत राहत यह सुनिश्चित करती है कि ₹12 लाख से मामूली रूप से अधिक आय वाले करदाता ₹12 लाख से अधिक की आय पर कर का भुगतान न करें।

प्रश्न 14. पुरानी कर व्यवस्था में व्यक्तियों के लिए कर दरें क्या थीं?

उत्तर: पुरानी कर व्यवस्था में आयकर स्लैब (अर्थात, जिनकी आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 खकग(1क) या आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 202 के तहत कर योग्य नहीं थी) नीचे सारणीबद्ध हैं:-

पुरानी कर योजना

आय-वर्ग (₹ में)	वैधानिक कर दर
	वित्तीय वर्ष 2025-26 (निर्धारण वर्ष 2026-27)
< = 2.5 लाख	0 %
>2.5 लाख -5 लाख	5%
>5 लाख -10 लाख	20%
>10 लाख	30%

प्रश्न 15. क्या पुरानी कर प्रणाली में मानक कटौती उपलब्ध है?

उत्तर: पुरानी कर प्रणाली में ₹50,000 की मानक कटौती उपलब्ध है।

*****.**